सी० बी० 2—संख्या 287

लोक सभा

विक्षुब्ध क्षेत्र (विशेष न्यायालय) विधेयक, 1972

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

[30 अप्रैल, 1974 को पेश किया गया]

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मई, 1974/वैशाख, 1896 (शक)

मूल्य : 1 रुपया 35 पैसे

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पैरा	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िये
I	क्रमांक 27	-	श्री एन. तौम्बी सिंह	श्री एन. टौम्बी सिंह
VI	1	3	हृदय	हृदय
VI	6	2	सयकार	सरकार
2	3(1)	4	विक्षुब्ध हुई थी	विक्षुब्ध हुई थी, या
	3(1)	5	विक्षुब्ध हो रही	विक्षुब्ध हो रही है
6	क्रमांक 27		श्री एन. तौम्बी सिंह	श्री एन. टौम्बी सिंह
11	4	4	तिसम्बर	सितम्बर
12	क्रमांक 36		श्री रणवीर सिंह	श्री रणबीर सिंह
14	क्रमांक 28		सादर	खादर
25	क्रमांक 10		श्री एन. तौम्बी सिंह	श्री एन. टौम्बी सिंह
28	2	1	यह	गृह
32	2	3	श्री भाई महावीर	डा0 भाई महावीर
37	1	4	शुद्धक	शुक्ल
39	23	2	न्देयेकेलि तत्कालीय	के लिए तत्काल केन्द्रीय
42	8	5	सज्ञान	संज्ञान
47	पाद टिप्पण		सौंपा गया	सौंपा गया है
49	13	1	परामर्शदाता ने	परामर्शदाता तथा

पहली, दूसरी, सातवीं और नवीं बैठक (क्रमश. पृष्ठ 10, 12, 19 और 22) में गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि के अंतर्गत श्री श्याम लाल घोष के स्थान पर श्री श्यामल घोष पढ़िये ।

विक्षुब्ध क्षेत्र (विशेष न्यायालय) विधेयक 1972
संबंधी संयुक्त समिति

समिति की रचना

*श्री लीलाधर कटकी--सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री मूल चन्द डागा
3. श्री मधु दंडवते
4. श्री तुलसीदास दासप्पा
5. श्री बीरेन दत्त
6. श्री सी० डी० गौतम
7. श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी
8. श्रीमती सुभद्रा जोशी
9. डा० कैलास
10. श्री पुरुषोत्तम काकोडकर
11. श्री सतपाल कपूर
12. श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा
**13. श्री विक्रम महाजन
14. श्री मुख्तियार सिंह मलिक
15. श्री प्रसन्नभाई मेहता
16. श्री जी० एस० मिश्र
17. श्री एफ० एच० मोहसिन
18. श्री प्रियरंजन दास मुंशी
19. श्री बी० वी० नायक
20. श्री सरजू पांडे
†21. श्री कृष्णचन्द्र पंत
22. श्री एच० एम० पटेल
23. श्री एम० सत्यनारायणराव
24. श्री इब्राहीम सुलेमान सेट
25. श्री नवल किशोर शर्मा
26. श्री बी० आर० शुक्ल
27. श्री एन० तोम्बी सिंह

---

*श्री आर० डी० भंडारे, जो लोक सभा के सदस्य नहीं रहे, के स्थान पर 27-2-1972 से सभापति नियुक्त।

**श्री आर० डी० भंडारे, जो लोक सभा के सदस्य नहीं रहे, के स्थान पर 5-4-73 से नियुक्त।

†22-12-1973 से त्यागपत्र दे दिया।

28. श्री सी० एम० स्टीफन
29. श्री के० वीरप्पा
30. श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव

राज्य सभा

31. श्री टोडक बासर
32. श्री शंकरराव बाजीराव बोबडे
33. श्री नवीनचन्द्र बरगोहेन
£34. श्री महेन्द्र मोहन चौधरी
35. श्रीमती सीता देवी
§36. श्रीमती जहानारा जयपालसिंह
37. श्री इब्राहीम कलानिया
38. श्री एम० एस० अब्दुल खादर
§§39. डा० भाई महावीर
40. श्री वीरेन्द्र पाटिल
41. श्री हमीद अली शामनाड
42. श्री योगेन्द्र शर्मा
43. श्री रणवीर सिंह
44. श्री सीताराम सिंह
45. श्री सिकन्दर अली वज्द

£4–5–1973 से राज्य सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया।

§श्री भोलापासवान शास्त्री, जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया, के स्थान पर 29–3–73 से नियुक्त।

§§राज्य सभा की सदस्यता 15–4–1974 से समाप्त हो गई।

विधायी परामर्शदाता

श्री आर० बी० एस० पेरी-शास्त्री— संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता

गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री एस० बालकृष्णन——संयुक्त सचिव
2. श्री बी० आर० पटेल——संयुक्त सचिव
3. श्रीमती पी० रामचन्द्रन——निदेशक
4. श्री एस० डी० श्रीवास्तव——अवर सचिव

सचिवालय

श्री पी० के० पटनायक——संयुक्त सचिव

श्री एच० जी० परांजपे——उप सचिव

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

मैं, उस संयुक्त समिति का सभापति, जिसे कतिपय क्षेत्रों में कतिपय अपराधों के शीघ्र विचारण के लिए और उससे सम्बन्धित विषयों का उपबंध करने वाला विधेयक* सौंपा गया था, समिति की ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत किये जाने पर, समिति का प्रतिवेदन, जिसके साथ समिति द्वारा संशोधित रूप में विधेयक संलग्न है, प्रस्तुत करता हूं।

2. यह विधेयक 31 मई, 1972 को लोक-सभा में पुरःस्थापित किया गया था। विधेयक को दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री राम निवास मिर्धा ने 16 अगस्त, 1972 को लोक-सभा में पेश किया था और वह स्वीकार किया गया (परिशिष्ट–एक)

3. राज्य सभा ने 21 अगस्त, 1972 को उपर्युक्त प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रकट की (परिशिष्ट दो)

4. राज्य सभा से प्राप्त संदेश की सूचना लोक-सभा में 23 अगस्त, 1972 को दी गई।

5. समिति की कुल मिलाकर 20 बैठकें हुईं।

6. अपना कार्यक्रम तैयार करने के लिए समिति की पहली बैठक 28 अगस्त, 1972 को हुई। समिति ने निर्णय किया कि विधेयक की विषय-वस्तु में रूचि रखने वाली विभिन्न एसोसिएशनों, संगठनों, व्यक्तियों, आदि से ज्ञापन आमंत्रित किये जाएं और यह भी निर्णय किया कि एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाये जिसके अनुसार इस विषय पर भेजे जाने वाले सभी ज्ञापन 25 सितम्बर, 1972 तक प्राप्त हो जाएं। विभिन्न एसोसिएशनों, संगठनों, आदि से प्राप्त ज्ञापनों की जांच करने के बाद सभापति को यह अधिकार दिया गया कि वह यह निर्णय करे कि समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य देने के लिए किन-किन एसोसिएशनों, संगठनों आदि को बुलाया जाये।

7. विभिन्न एसोसिएशनों और संगठनों, आदि से विधेयक के उपबंधों पर चार ज्ञापन प्राप्त हुए (सूची परिशिष्ट तीन में देखिए)।

8. 11 और 12 अक्तूबर, 1972 को हुई अपनी बैठकों में, समिति ने विभिन्न एसोसिएशनों, संगठनों, व्यक्तियों, आदि का साक्ष्य सुना (सूची परिशिष्ट–चार में देखिए)।

9. समिति का प्रतिवेदन 13 नवम्बर, 1972 को प्रस्तुत किया जाना था। समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए पांच बार समय बढ़ाया गया––पहली बार 13 नवम्बर, 1972 को 22 दिसम्बर, 1972 तक; दूसरी बार 15 दिसम्बर, 1972 को 30 मार्च, 1973 तक; तीसरी बार 26 मार्च, 1973 को 27 जुलाई, 1973 तक; चौथी बार 25 जुलाई, 1973 को 17 दिसम्बर, 1973 तक और पांचवीं बार 10 दिसम्बर, 1973 को 7 मई, 1974 तक।

10. समिति ने 8 से 11 अप्रैल, 1974 तक हुई अपनी बैठकों में विधेयक पर खंड-वार विचार किया।

11. 11 अप्रैल, 1974 को हुई अपनी बैठक में समिति ने यह निर्णय किया कि समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के बाद (एक) समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य; और (दो) समिति को विभिन्न एसोसिएशनों, संगठनों आदि से प्राप्त हुए ज्ञापनों की दो-दो प्रतियां, संसद सदस्यों के अवलोकनार्थ संसद ग्रन्थागार में रखी जायें।

12. समिति ने 25 अप्रैल, 1974 को प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया।

13. विधेयक में प्रस्तावित परिवर्तनों के सम्बन्ध में समिति के विचार अगले पैराग्राफों में दिये गये हैं।

14. **खण्ड 2.**––समिति का विचार है कि "विक्षोभ की अवधि" शब्दों की परिभाषा की जाये।

तदनुसार नई परिभाषा जोड़ दी गई है। समिति का विचार है कि यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिये कि विशेष न्यायालयों का कार्यक्षेत्र केवल उन्हीं अपराधों तक सीमित होगा जिनका विधेयक की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया हो या जो खण्ड 3 में यथानिर्दिष्ट किसी विक्षोभ का भाग हो या उससे पैदा होने वाला या उससे सम्बन्धित अपराध हो। इस प्रयोजन के लिये "अनुसूचित अपराध" की परिभाषा में संशोधन किया गया हो।

---

*भारत के असाधारण राजपत्र–भाग दो, खण्ड दो, दिनांक 31 मई, 1972 में प्रकाशित।

15. **खण्ड 3.**—

(एक) उप-खण्ड (1)—संशोधन प्रारूपण सम्बन्धी हैं ।

(दो) उप-खण्ड (2)—समिति का विचार है कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि मनमाने रूप से निर्धारित नहीं की जानी चाहिये किन्तु उसका सम्बन्ध विक्षोभ की अवधि से होना चाहिये । अधिसूचना में विनिर्दिष्ट विक्षोभ की अवधि विक्षोभ प्रारम्भ होने की तारीख से पहले नहीं होनी चाहिये और विक्षोभ समाप्त होते ही विक्षोभ की अवधि को भी समाप्त कर दिया जाना चाहिये । समिति का यह भी विचार है कि कोई भी अवधि अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन मास से अधिक पहले की तारीख से प्रारम्भ न हो ।

उप-खण्ड (2) में तदनुसार संशोधन कर दिया गया है । अन्य संशोधन प्रारूपण सम्बन्धी हैं ।

16. **खण्ड 4**—

(एक) उप-खण्ड (2)—समिति का विचार है कि उप-खण्ड में इस प्रकार परिवर्तन किया जाना चाहिये कि न्यायिक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति के बारे में यह नई दण्ड प्रक्रिया संहिता के उपबन्धो के अनुरूप हो जाये । उप-खण्ड में तदनुसार संशोधन कर दिया गया है ।

(दो) उप-खण्ड (3) **और** (4)—समिति का विचार है कि एक उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश की एक विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति करना उचित नहीं होगा । समिति का विचार है कि सेवानिवृत्त व्यक्तियों की नियुक्ति करना भी उचित नहीं होगा । इन प्रयोजनों के लिये उप-खण्ड (3) में संशोधन किया गया है और वर्तमान उप-खण्ड (4) के स्थान पर नया उप-खण्ड (4) प्रतिस्थापित किया गया है और वर्तमान उप-खण्ड (4) का लोप किया जा रहा है क्योंकि यह अनावश्यक है ।

17. **खण्ड 5**—इसमें प्रारूपण सम्बन्धी संशोधन किया गया है ।

18. **खण्ड 6**—

(एक) उप-खण्ड (1) **से** (3)—समिति का विचार है कि अनुसूचित अपराध संज्ञेय होने चाहियें । समिति यह भी अनुभव करती है कि नई दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 बन जाने के बाद इन उप-खण्डों में कुछ परिवर्तन करना आवश्यक हो गया है ताकि वक्तव्यों की प्रतियां सप्लाई करने जैसे कुछ मामलों के लिये उपबन्ध किया जा सके और यह व्यवस्था भी की जा सके कि एक ऐसे मामले में कौन सी प्रक्रिया का पालन किया जायेगा जिसमें अपराध पर केवल एक सैशन न्यायालय में विचार किया जा सकता है और अन्य मामलों में किस प्रक्रिया का पालन किया जायेगा । ऐसे अपराधों के मामले में जिन पर सैशन-न्यायालय में विचार किया जा सकता है । नई संहिता के अधीन गिरफ्तारी की संशोधित प्रक्रिया का पालन किया जायेगा । अन्य मामलों में यह सुनिश्चित करने के लिए एक रक्षोपाय के रूप में सरकारी अभियोक्ता से एक प्रमाण-पत्र लेने की व्यवस्था की गई है कि ऐसे मामलों की ओर ध्यान न दिया जाये जिनका अशान्ति से कोई सम्बन्ध नहीं है । समिति यह भी अनुभव करती है कि जहां संक्षिप्त जांच के दौरान विशेष न्यायालय की यह धारणा बन जाती है कि यह एक ऐसा मामला है जो जिसकी संक्षिप्त जांच नहीं की जानी चाहिये तो न्यायालय किसी साक्षी को, जिसका बयान लिया जा चुका हो । पुनः बुला सकता है और ऐसे मामलों की जांच के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार उस मामले की सुनवाई कर सकता है ।

इन मामलों के लिये उपबन्ध करने के लिए (1) से (3) उप-खण्डों में संशोधन किया गया है ।

(दो) उप-खण्ड (6) **[मूल उप-खण्ड** (4)]—इसमें पारिणामिक किस्म के संशोधन किये गये हैं ।

19. **खण्ड 7 से** 9—इन खण्डों में पारिणामिक तथा प्रारूपण सम्बन्धी संशोधन किये गये हैं ।

20. **खण्ड 1 और अधिनियमन सूत्र**—इनमें औपचारिक किस्म के संशोधन किये गये हैं ।

21. संयुक्त समिति सिफारिश करती है कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।

लीलाधर कटकी,
सभापति,
संयुक्त समिति ।

नई दिल्ली;
30 अप्रैल, 1974

---

10 बैशाख, 1896 (शक)

विमति टिप्पण

एक

यदि विक्षुब्ध क्षेत्र (विशेष न्यायालय) विधेयक राष्ट्रीय एकता परिषद् की इस सिफारिश के अनुरूप होता कि "साम्प्रदायिक अशान्ति सम्बन्धी अपराधों को निपटाने के लिये ऐसे विशेष न्यायालयों का गठन किया जाना चाहिये जिसके पास संक्षिप्त जांच करने की शक्तियां हो, तो हम इसका दृदय से समर्थन करते । परन्तु इस विधेयक के अन्तर्गत न केवल साम्प्रदायिक अशान्ति अपितु, भाषायी और क्षेत्रीय अशान्ति सम्बन्धी अपराधों को लाने का भी प्रयास किया गया है। अतः यह विधेयक राष्ट्रीय एकता परिषद् की सिफारिश के प्रतिकूल है तथा इससे उसका महत्व समाप्त हो जाता है ।

2. विधेयक का क्रियात्मक भाग विधेयक में दिये गये उद्देश्यों और कारणों के कथन से मेल नहीं खाता। इस विधेयक को अधिनियमित करने के तीन कारण हैं जो कि उद्देश्यों और कारणों के कथन में बताया गया है। इन कारणों में से किसी कारण के आधार पर यह उचित नहीं है कि भाषायी और क्षेत्रीय विवादों से उत्पन्न होने वाले अपराधों पर विचार करने के लिए विशेष न्यायालयों का गठन किया जाये जैसा कि इस विधेयक में उपबन्ध किया गया है ।

3. साम्प्रदायिक अशान्ति को भाषायी या क्षेत्रीय अशान्ति के बराबर समझना खतरनाक है और साम्प्रदायिक अशान्ति के महत्व को कम करना है। साम्प्रदायिक अशान्ति के मामले में यह आवश्यक है कि इसे प्रभावी उपायों से शीघ्र दबाया जाये परन्तु भाषायी या क्षेत्रीय अशान्ति के लिये राजनैतिक समाधान की आवश्यकता है जैसे कि भ षायी राज्यों सम्बन्धी आन्दोलनों के मामले में किया गया है ।

4. भाषायी और क्षेत्रीय विवाहों से उत्पन्न होने वाले अपराधो से निपटने के लिये राज्यों को विशेष न्यायालयों की स्थापना करने की शक्तियां दी जायें तो इस से सम्बन्धित राज्यों में एक दूसरे के प्रति विरोध की भावना पैदा होगी और इससे राष्ट्रीय एकता का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा किसी सिद्धांत के आधार पर भाषायी और क्षेत्रीय विवादों को हल करना केन्द्रीय प्राधिकरण का उत्तरदायित्व होना चाहिये ताकि इस कारण बड़े पैमाने पर अशांति पैदा न हो ।

5. भाषायी अथवा क्षेत्रीय विवादों से उत्पन्न होने वाले अपराधों पर विचार करने के लिये राज्य सरकारों को विशेष न्यायालयों की स्थापना करने की शक्तियां प्रदान करने से वास्तव में भाषायी अल्पसंख्यकों का प्रश्न दमन होगा और इस से उनको कष्ट सहने पडेंगे ।

6. एक राज्य सरकार को एक ऐसी अधिसूचना की अवधि बढ़ाने की असीमित शक्ति प्रदान नहीं की जानी चाहिये जिसके अन्तर्गत इस विधेयक के प्रयोजनार्थ एक क्षेत्र को निक्षुब्ध क्षेत्र घोषित किया जाता है। एक राज्य सरकार को ऐसी अधिसूचना की अवधि में तीन महीने से अधिक वृद्धि करने का अधिकार नहीं होना चाहिये ।

7. इस विधेयक के प्रयोजन के लिये किसी क्षेत्र को विक्षुब्ध क्षेत्र अधिसूचित करने के मामले में सम्बद्ध राज्य के विधान मंडल को भी एक ऐसे ढंग से अपना निर्णय देने का अवसर दिया जाना चाहिये जो तेजी से विचार करने के उद्देशय के अनुरूप हो परन्तु विधेयक में इसकी व्यवस्था नहीं है।

नई दिल्ली :
25 अप्रैल, 1974

सरजू पांडे
योगेन्द्र शर्मा

दो

मैं निम्नलिखित कारणों से इस विधेयक के सम्बन्ध में अपना विमति टिप्पण दे रहा हूं तथा मेरी यह राय है कि इस विधेयक पर आगे विचार नहीं किया जाना चाहिये ।

(एक) देश में साम्प्रदायिक शक्तियों का ह्रास हुआ है तथा धर्मनिर्पेक्ष शक्तियां बढ़ी हैं। अतः धार्मिक किस्म के साम्प्रदायिक अपराधों को रोकने के लिये राष्ट्रीय एकता समिति ने इस प्रकार के अधिनियम का जो सुझाव दिया था अब उस तरह के अधिनियम की कोई आवश्यकता नहीं है ।

(दो) धम निर्पेक्ष शक्तियों की वृद्धि से प्रत्येक राज्य में भाषायी अल्पसंख्यकों को लोकतंत्रीय ढंग में अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिये प्रोत्साहन मिला है। इस अधिनियम द्वारा इन भाषायी अल्पसंख्यकों का दमन होगा

तथा बहुसंख्यक समुदाय की प्रतिक्रियावादी शक्तियां राज्य सरकारों में अपने प्रभाव के द्वारा इस अधिनियम का प्रयोग भाषायी अल्पसंख्यकों की न्यायोचित आकांक्षाओं को दबाने में करती रहेंगी। विशेष रूप से भारत के सभी राज्यों के समीपस्थ क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय लोग, जिनकी अपनी अलिखित भाषायें है अपने न्यायोचित अधिकारों के लिये संघर्ष कर रहे हैं। इस अधिनियम से उनके न्यायोचित आन्दोलनों पर रोक लग जायेगी।

इस विधेयक से अपराधियों पर शीघ्र मुकदमा चलाने में सहायता नहीं मिलेगी। बल्कि इसके विपरीत प्रक्रिया सम्बन्धी बाधाओं के कारण इससे मुकदमा चलाने में और विलम्ब होगा।

नई दिल्ली ;
25 अप्रैल, 1974 ।

वीरेन दत्त

तीन

दण्ड प्रक्रिया संहिता में पर्याप्त संशोधनों के पश्चात इस विधेयक को स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। राज्य सरकारों को किसी क्षेत्र विशेष को "विक्षुब्ध क्षेत्र' घोषित करने की शक्तियां देने मात्र से शान्ति तथा प्रशान्ति बनाये रखने की समस्या का समाधान नहीं हो सकेगा।

वर्तमान विस्फोटक स्थिति में, सरकार के कार्यपालिका पक्ष को सुदृढ़ बनाने से विक्षुब्ध क्षेत्रों में शान्ति स्थापित नहीं होगी। बहुधा सामाजिक विषमता, आर्थिक असंतोष तथा राजनीतिक वांछनीयता की अपेक्षा सुनिश्चित मानदण्डों तथा सिद्धान्तों के आधार पर होने वाले अन्तर्राज्यीय विवादों को हल करने में असमर्थता अशान्ति का कारण होती हैं। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार भी गंभीर अशान्ति पैदा कर रहे हैं तथा यह स्पष्ट है कि अत्याचार के प्रतिरोध में इन उत्पीड़ित वर्गों में एक नवीन जागृति आ रही है।

इन परिस्थितियों में विषमताओं के कारणों को समझे बिना, कार्यपालिका को विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित करने तथा न्यायपालिकाओं को मामलों का त्वरित निपटान करने की शक्ति देने मात्र से विक्षुब्ध क्षत्रों में शान्ति स्थापित नहीं की जा सकती है। यदि शान्ति स्थापित हो जाती है तो यह केवल एक तनावपूर्ण शान्ति होगी।

अतः, मैं इस विधेयक के मूल आधार का ही पूरी तरह से विरोध करता हूं जो कि विक्षुब्ध क्षेत्रों की समस्या का गहराई में गये बिना तदर्थ आधार पर समाधान प्रस्तुत करता है।

नई दिल्ली;
29 अप्रैल, 1974

मधु दण्डवते

(जैसा कि संयुक्त समिति ने रिपोर्ट किया है)

1972 का विधेयक सं० 59

विक्षुब्ध क्षेत्र (विशेष न्यायालय) विधेयक, 1972

(जैसा कि संयुक्त समिति ने रिपोर्ट किया है)

(जिन शब्दों के पार्श्व में या नीचे रेखाएं खींची हैं वह समिति द्वारा सुझाए गए संशोधन हैं; जहां तारक चिह्न हैं वहां लोप किया गया है। कतिपय क्षेत्रों में कतिपय अपराधों के शीघ्र विचारण के लिए और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम, विक्षुब्ध क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अधिनियम, 1974 है।

5 (2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और विभिन्न राज्यों के लिए या उनके विभिन्न भागों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकगी।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "संहिता" से दण्ड संहिता 1973 अभिप्रेत है,

(ख) "विक्षुब्ध क्षेत्र" से धारा 3 के अधीन विक्षुब्ध क्षेत्र के रूप में घोषित क्षेत्र अभिप्रेत है ;

(ग) किसी विक्षुब्ध क्षेत्र के संबंध में "विक्षोभ की अवधि" से वह अवधि अभिप्रेत है जिसके दौरान वह धारा 3 के प्रयोजनों के लिए विक्षुब्ध क्षेत्र है ;

(घ) "अनुसूचित अपराध" से अनुसूची में विनिर्दिष्ट अपराध अभिप्रेत है जो धारा 3 में यथानिर्दिष्ट किसी विक्षोभ का भाग हो या उससे पैदा होने वाला या उससे संबंधित अपराध हो;

(ङ) "विशेष न्यायालय" से धारा 4 के अधीन गठित विशेष न्यायालय अभिप्रेत है

(च) ऐसे शब्दों और पदों के जो इस अधिनियम में प्रयुक्त है किन्तु इसमें परिभाषित नहीं है और संहिता में परिभाषित हैं वे ही अर्थ होंगे जो संहिता में क्रमशः उन्हें दिए गए हैं ।

किसी क्षेत्र की विक्षुब्ध क्षेत्र के रूप में घोषणा ।

3. (1) जहां राज्य सरकार का समाधान हो गया हो कि राज्य के किसी क्षेत्र में विभिन्न धार्मिक, मूलवंशीय भाषायी या प्रादेशिक समूहों या जातियों या साम्प्रदायों के सदस्यों के बीच मतभेदों या विवादों के कारण लोक शांति और प्रशांति बड़े पैमाने पर—

(i) विक्षुब्ध हुई थी, या

(ii) विक्षुब्ध हो रही

वहां वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकेगा कि ऐसा क्षेत्र *** विक्षुब्ध क्षेत्र***होगा ।

(2) किसी क्षेत्र की बाबत उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना में वह अवधि विनिर्दिष्ट की जाएगी जिसके दौरान वह क्षेत्र इस धारा के प्रयोजनों के लिए विक्षुब्ध क्षेत्र होगा और जहां राज्य सरकार का समाधान हो जाए कि उस क्षेत्र में लोक शांति का ऐसा विक्षोभ, जैसा उपधारा (1) में निर्दिष्ट है, ऐसी अधिसूचना के जारी किए जाने के पहले की किसी तारीख से हुआ था वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि उस तारीख से प्रारम्भ हो सकेगी :

परन्तु —

(क) कोई भी अवधि जो अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन मास से अधिक पहले की तारीख से प्रारम्भ हो उसमें विनिर्दिष्ट नहीं की जाएगी; और

(ख) ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि का इतना भाग जितना अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के पश्चात् का हो प्रथमतः तीन मास से अधिक नहीं होगा किन्तु यदि राज्य सरकार की राय में ऐसे क्षेत्र में लोक शांति और प्रशांति का ऐसा विक्षोभ जैसा उपधारा (1) में निर्दिष्ट है, जारी रहता है तो राज्य सरकार ऐसी अवधि को समय समय पर, एक बार में तीन मास से अनधिक की किसी अवधि तक बढ़ाने के लिए ऐसी अधिसूचना को संशोधित कर सकेगी :

परन्तु यह और कि जहां राज्य सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसे क्षेत्र में लोक शांति का ऐसा विक्षोभ, जैसा उपधारा (1) में निर्दिष्ट है, विद्यमान नहीं है तो वह उस क्षेत्र के संबंध में उपधारा के अधीन जारी की गई अधिसूचना को (चाहे मूल रूप में या पूर्वगामी परन्तुक के अधीन संशोधन द्वारा) उसमें विनिर्दिष्ट अवधि को सीमित करने के लिए अधिसूचना को संशोधित करेगी ।

विशेष न्यायालयों का गठन

4. (1) राज्य सरकार विक्षुब्ध क्षेत्रों में किए गए अनुसूचित अपराधों का शीघ्र विचारण करने के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे विक्षुब्ध क्षेत्रों के लिए या उनके संबंध में, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, इतने विशेष न्यायालय गठित कर सकेगी जितने आवश्यक हों ।

(2) विशेष न्यायालय में एक न्यायाधीश होगा जो राज्य सरकार द्वारा प्रार्थना दिए जाने पर उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण–इस उपधारा में 'नियुक्त" शब्द का वही अर्थ होगा जो उसका संहिता की धारा 9 के स्पष्टीकरण में दिया गया है ।

(3) कोई भी व्यक्ति विशेष न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के लिए उस दशा के सिवाय अर्ह नहीं होगा जिसमें–

(क) वह उच्च न्यायालय *** के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह हो, अथवा

(ख) वह, कम से कम एक वर्ष की अवधि तक सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश रहा हो ।

(4) उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी कोई भी व्यक्ति उस आयु को, जिस में किसी राज्य में सेशन न्यायाधीशों को सेवा से निवृत होना पड़ता है, प्राप्त कर लेने के पश्चात् उस राज्य में विशेष न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने और बने रहने के लिए पात्र नहीं होगा ।

विशेष न्यायालय की अधिकारिता

5. (1) संहिता या किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी किसी भी विक्षुब्ध क्षेत्र में, उस अवधि के दौरान जब वह विक्षुब्ध क्षेत्र हो किसी भी समय किया गया कोई अनुसूचित अपराध, विक्षुब्ध क्षेत्र में या उस क्षेत्र के संबंध में, जिसमें अपराध किया गया है, गठित विशेष न्यायालय द्वारा ही विचारणीय होगा चाहे विचारण ऐसी अवधि के दौरान हो या उसके पश्चात् ।

(2) किसी अनुसूचित अपराध का विचारण करते समय विशेष न्यायालय अनुसूचित अपराध से भिन्न किसी ऐसे अपराध का भी विचारण कर सकेगा जिसका अभियुक्त पर, संहिता के अधीन, उसी विचारण में आरोप हो, पर यह तब जब कि अपराध अनुसूचित अपराध से संबंधित हो ।

विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियां ।

6. (1) प्रत्येक अनुसूचित अपराध संज्ञेय होगा ।

(2) विशेष न्यायालय किसी अनुसूचित अपराध का संज्ञान–

(क) जहां संहिता के अधीन ऐसा अपराध संहिता की धारा 209 के अधीन उसे सुपुर्द किये जाने पर अनन्य रूप से सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराध हो वहां इस प्रकार कर सकेगा मानो विशेष न्यायालय सेशन न्यायालय हैं ;

(ख) किसी अन्य दशा में तथ्यों के बारे में पुलिस की रिपोर्ट पर कर सकेगा जिसके साथ लोक अभियोजक का इस भाव का प्रमाणपत्र होगा कि वह अपराध अनन्य रूप से विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय है ।

(3) जहां कोई अनुसूचित अपराध संहिता के आधीन अनन्य रूप से सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराध है वहां विशेष न्यायालय को सेशन न्यायालय की सब शक्तियां होंगी और वह ऐसे अपराध का विचारण, इस प्रकार मानो वह सेशन

न्यायालय हों यावत्शक्य सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए संहिता में विहित प्रक्रिया के अनुसार करेगा मानो विशेष वह न्यायालय सेशन न्यायालय हो ।

(4) जहां कोई अनुसूचित अपराध ऐसा अपराध हो जो तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिये कारावास से दण्डनीय हो किन्तु संहिता के उपबंधों के अनुसार जो अनन्य रूप से सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराध न हो, बहां उस अपराध का संज्ञान करने पर विशेष न्यायालय संहिता की धारा 207 के अधीन मजिस्ट्रेट के कृत्यों का पालन कर सकेगा और तत्पश्चात् ऐसे अपराध का विचारण सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए संहिता में विहित प्रक्रिया के अनुसार इस प्रकार करेगा मानो विशेष न्यायालय सेशन न्यायालय हो और वह मामला संहिता के उपबंधों के अधीन विचारण के लिये उसे सुपुर्द किया गया हो ।

(5) जहां कोई अनुसूचित अपराध तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए कारावास से या जुर्माने से अथवा दोनों से दण्डनीय हो वहां संहिता की धारा 260 की उपधारा (1) में अथवा धारा 262 में किसी बात के होते हुए भी विशेष न्यायालय उस अपराध का विचारण संहिता में विहित प्रक्रिया के अनुसार संक्षेपतः कर सकेगा और संहिता की धारा 263 से लेकर 265 तक के उपबंध यावत्शक्य ऐसे विचारण को लागू होंगे :

परन्तु इस उपधारा के अधीन संक्षिप्त विचारण के दौरान जब विशेष न्यायालय को प्रतीत हो कि मामले का स्वरूप ऐसा है कि उसका संक्षिप्ततः विचारण करना अवांछनीय है, तो विशेष न्यायालय किन्हीं साक्षियों को, जिनकी परीक्षा की जा चुकी हो, पुनः बुलाएगा और मामले की ऐसे अपराध के विचारण के लिए संहिता के उपबंध द्वारा उपबंधित रीति से पुनः सुनवाई प्रारम्भ करेगा और उक्त उपबंध विशेष न्यायालय को और उसके संबंध में उसी प्रकार लागू होंग जिस प्रकार वे किसी मजिस्ट्रेट को और उसके संबंध में लागू होते हैं :

परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन संक्षिप्त विचारण में किसी दोषसिद्धि की दशा में विशेष न्यायालय के लिए यह विधिसम्मत होगा कि वह दो वर्ष से अनधिक की अवधि के कारावास का दण्डादेश पारित करे ।

(6) विशेष न्यायालय, किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य अभिप्राप्त करने की दृष्टि से जिस पर किसी अपराध से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः संपृक्त या संसर्गित होने का संदेह हो ऐसे व्यक्ति को इस शर्त पर क्षमा का निविदान कर सकेगा कि वह अपराध के और उस अपराध के करने से संबद्ध प्रत्येक व्यक्ति के, चाहे वह उसके करने में कर्ता हो या दुष्प्रेरक, संबंध में अपने निजी ज्ञान से सभी परिस्थितियों को पूर्ण और सही रूप से प्रकट करे और इस प्रकार निविदत्त क्षमा संहिता की धारा 308 के प्रयोजनार्थ, संहिता की धारा 307 के अधीन निविदत्त समझी जाएगी ।

मामलों को नियमित न्यायालयों को आंतरित करने की शक्ति ।

7. जहां किसी अपराध का संज्ञान करने के पश्चात् विशेष न्यायालय की यह राय हो कि वह अपराध अनुसूचित अपराध नहीं है वहां वह, इस बात के होते हुए भी कि उसे मामले का विचारण करने की अधिकारिता नहीं है, मामले को विचारण के लिए ऐसे न्यायालय को आंतरित करेगा जिसे संहिता के अधीन अधिकारिता हो और वह न्यायालय जिसे मामला आंतरित किया जाए मामले में ऐसे कार्यवाही कर सकेगा मानो उसने अपराध का संज्ञान किया हो ।

अपील और पुनरीक्षण ।

8. उच्च न्यायालय, संहिता के अध्याय 29 और 30 द्वारा उच्च न्यायालय को प्रदत्त सब शक्तियों का, जहां तक वे लागू हों, इस प्रकार कर प्रयोग कर सकेगा मानो विशेष न्यायालय उस उच्च न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अन्दर मामलों का विचारण करने वाला सेशन न्यायालय हो ।

9. (1) इस अधिनियम के उपबंध, संहिता या किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे किन्तु इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, संहिता के उपबंध, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों को लागू होंगे और संहिता के उक्त उपबंधों के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायालय को *** सेशन न्यायालय समझा जाएगा और विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन करने वाला व्यक्ति लोक अभियोजक समझा जाएगा । अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव।

(2) विशेषतया और उपधारा (1) में के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संहिता की धारा 326 और 475 के उपबंध विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों को यावत्शक्य लागू होंग और इस प्रयोजन के लिए उन उपबंधों में मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जायगा कि वे विशेष न्यायालय के प्रति निर्देश हैं ।

10. (1) इस अधिनियम की कोई भी बात नौसेना, सेना अथवा वायुसेना या संघके किसी अन्य सशस्त्र बल से संबंधित किसी विधि के अधीन किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रयोक्तव्य अधिकारिता पर, या उनको लागू प्रक्रिया पर, प्रभाव नहीं डालेगी । व्यावृत्ति ।

(2) शंकाओं का निराकरण करने के लिए एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि ऐसी किसी विधि के प्रयोजन के लिए जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट हैं, विशेष न्यायालय को मामूली दण्ड न्याय का न्यायालय समझा जाएगा ।

अनुसूची

(धारा 2(ग) देखिए)

1.	भारतीय दण्ड संहिता के निम्नलिखित उपबंधों के अधीन अपराध :—	1860 का 45.
	धारा 120ख;	
	धाराएं 143 से 145 तक, 147, 148, 151 से 155 तक, 157, 158 और 160;	
	धाराएं 182, 183, 186 से 190 तक;	
	धाराएं 193 से 195 तक, 199, 201 से 203 तक, 211 से 214 तक, 216, 216क और 225;	
	धाराएं 295 से 298 तक;	
	धाराएं 302, 303, 304, 307, 308, 323, से 335 तक, 341 से 348 तक, 352 से 358 तक, 363 से 369 तक और 376;	
	धाराएं 379, 380, 382, 384 से 387 तक, 392 से 399 तक, 402, 411, 412, 426, 427, 431, 435, 436, 440, 347, से 462 तक; धाराएं 504 से 506 तक तथा धारा 509 ।	
2.	आयुध अधिनियम, 1959 के निम्नलिखित उपबंधों के अधीन अपराध :— धाराएं 25 से 30 तक ।	1559 का 54
3.	भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884 के निम्नलिखित उपबंधों के अधीन अपराध :— धारा 6(3) और धारा 8(2) ।	1884 का 4

परिशिष्ट एक

(देखिये प्रतिवेदन का पैरा 2)

विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के लिए लोक-सभा में प्रस्ताव ।

"कि कतिपय क्षत्रों में कतिपय अपराधों के शीघ्र विचारण के लिए और उससे सम्बन्धित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये जिसमें 45 सदस्य हों, इस सभा से 30 सदस्य अर्थात्—

(1) श्री आर० डी० भण्डारे
(2) श्री मूल चंद डागा
(3) श्री मधु दण्डवते
(4) श्री तुलसीदास दासप्पा
(5) श्री वीरेन दत्त
(6) श्री सी० डी० गौतम
(7) श्री दिनेश चंद्र गोस्वामी
(8) श्रीमती सुभद्रा जोशी
(9) डॉ० कैलास
(10) श्री पुरुषोत्तम काकोडकर
(11) श्री सतपाल कपूर
(12) श्री लीलाधर कटकी
(13) श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा
(14) श्री मुख्तियार सिंह मलिक
(15) श्री प्रसन्नभाई मेहता
(16) श्री जी० एस० मिश्र
(17) श्री एफ० एच० मोहसिन
(18) श्री प्रिय रंजन दास मुंशी
(19) श्री बी० वी० नायक
(20) श्री सरजू पांडे
(21) श्री कृष्णचन्द्र पंत
(22) श्री एच० एम० पटेल
(23) श्री एम० सत्यनारायण राव
(24) श्री इब्राहीम सुलेमान सेट
(25) श्री नवल किशोर शर्मा
(26) श्री बी० आर० शुक्ल
(27) श्री एन० तोम्बी सिंह
(28) श्री सी० एम० स्टीफन
(29) श्री के० वीरय्या
(30) श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव

तथा 15 सदस्य राज्य सभा से;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक-तिहाई होगी;

कि समिति आगामी सत्र के पहले दिन तक इस सभा को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे;

कि अन्य मामलों में संसदीय समितियों के सम्बन्ध में इस सभा के प्रक्रिया सम्बन्धी नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष महोदय करें; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संयुक्त समिति राज्य सभा द्वारा नियुक्त किये जाने वाले 15 सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे"

परिशिष्ट—दो

(देखिए प्रतिवेदन का पैरा—3)

राज्य सभा में प्रस्ताव

"कि यह सभा लोक-सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य सभा कतिपय क्षेत्रों में कतिपय अपराधों के शीघ्र विचारण के लिए और उससे सम्बन्धित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक से सम्बन्धित दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो तथा यह संकल्प करती है कि राज्य सभा से निम्नलिखित 15 सदस्य उक्त संयुक्त समिति के लिए नामनिर्देशित किये जायें :—

(1) श्री टोडक बासर
(2) श्री शंकरराव बाजीराव बोबडे
(3) श्री नवीनचन्द्र बरगोहेन
(4) श्री महेन्द्र मोहन चौधरी
(5) श्रीमती सीता देवी
(6) श्री इब्राहीम कलानिया
(7) श्री एम० एस० अब्दुल खादर
(8) डा० भाई महावीर
(9) श्री वीरेन्द्र पाटिल
(10) श्री हमीद अली शामनाड
(11) श्री योगेन्द्र शर्मा
(12) श्री भोला पासवान शास्त्री
(13) श्री रणवीर सिंह
(14) श्री सीताराम सिंह
(15) श्री सिकन्दर अली वज्द

परिशिष्ट--तीन

(देखिये प्रतिवेदन का पैरा-7)

एसोसयेशनों, संगठनों आदि की सूची, जिनसे संयुक्त समिति को ज्ञापन प्राप्त हुए--

(1) सुप्रीम कोर्ट बार एसोसियेशन, नई दिल्ली

(2) मेघालय सरकार, राजनीतिक विभाग, शिलांग

(3) बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

(4) मध्य प्रदेश सरकार, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल

परिशिष्ट--चार

(देखिये प्रतिवेदन का पैरा—8)

एसोसियेशनों आदि की सूची, जिन्होंने संयुक्त समिति के समक्ष साक्ष्य दिया

क्रमांक	एसोसियेशन का नाम	तारीख, जिस दिन साक्ष्य लिया गया
1.	बार एसोसियेशन आफ सुप्रीम कोर्ट आफ इंडिया, नई दिल्ली **प्रवक्ता** डा० डब्ल्यू० एस० बारलिंगे, अधिवक्ता	11-10-72
2.	दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसियेशन, नई दिल्ली **प्रवक्ता** (1) श्री कुलवंत सिंह बिन्द्रा, वाइस प्रेजिडेंट (2) श्री योगेश के० सब्बरवाल सेक्रेटरी	12-10-72

परिशिष्ट--पांच

विक्षुब्ध क्षेत्र (विशेष न्यायालय) विधेयक, 1972 सम्बन्धी संयुक्त समिति की बैठकों का कार्यवाही--सारांश

एक

पहली बैठक

समिति की बैठक सोमवार, 28 अगस्त, 1972 को 15.00 से 15.45 बजे तक हुई।

उपस्थिति

श्री आर० डी० भंडारे--**सभापति**

संदस्य

लोक-सभा

2. श्री मूलचन्द डागा
3. श्री बीरेन दत्त
4. श्री सी० डी० गौतम
5. श्रीमती सुभद्रा जोशी
6. डाक्टर कैलाश
7. श्री पुरुषोत्तम काकोडकर
8. श्री प्रसन्न भाई मेहता
9. श्री एफ० एच० मोहसिन
10. श्री बालकृष्ण वेनकन्ना नायक
11. श्री सरजू पांडे
12. श्री नवल किशोर शर्मा
13. श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव

राज्य सभा

14. श्री टोडक बासर
15. श्री नवीन चन्द्र बारगोहने
16. श्रीमती सीता देवी
17. श्री भोला पासवान शास्त्री
18. श्री रणबीर सिंह

विधायी परामर्शदाता

1. श्री के० के० सुन्दरम--**संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता**
2. श्री आर० वी० एस० पेरि-शास्त्री--**अपर विधायी परामर्शदाता**

गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री टी० सी० ए० श्रीनिवासर्द्धन--**संयुक्त सचिव**
2. श्री एस० बालाकृष्णन--**संयुक्त सचिव**
3. श्री वी० के० कपूर-- **उप सचिव**
4. श्री श्यामलाल घोष-- **अवर सचिव**

सचिवालय

श्री हरि गोपाल परांजपे---**उप-सचिव ।**

2. गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री श्री राम निवास मिर्धा ने, जो संयुक्त समिति के सदस्य नहीं हैं, लोक-सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियमो के नियम 299 के अन्तर्गत सभापति की अनुमति से बैठक में भाग लिया ।

3. सभापति ने सर्वप्रथम समिति के सदस्यों का स्वागत किया और उनका ध्यान प्रस्तावित विधान के निहितार्थों की ओर दिलाया तथा समिति के समक्ष जो काम हैं, उनके महत्व और अविलम्बनीयता पर बल दिया ।

4. समिति ने तब अपने भावी कार्यक्रम पर विचार किया समिति ने निर्णय किया कि विधेयक की विषय-वस्तु में रूचि रखने वाले संगठनों, एसोसिएशनों, व्यक्तियों, आदि से ज्ञापन आमन्त्रित किए जाएं और जो मौखिक साक्ष्य देना चाहे उसका मौखिक साक्ष्य सुना जाए । समिति ने फिर यह निर्णय किया कि इस सम्बन्ध में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाये और राज्य सरकारों, संगठनों, एसोसिएशनों, आदि से ज्ञापन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख 25 तिसम्बर, 1972 निर्धारित की जाये । समिति ने यह भी निर्णय किया कि सभी राज्य सरकारों, भारतीय विधिज्ञ परिषद / उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय, वकील एसोसिएशन, आदि को पत्र भेजे जाएं और विधेयक पर उनके विचार आमन्त्रित किए जाएं ।

5. समिति ने तब 10 और 11 अक्तूबर, 1972 को दो दिन होने वाली अपनी बठकों के अगामी क्रम में सभापति को मौखिक साक्ष्य के लिए संगठनों, एसोसिएशनों आदि का चयन करने के लिए प्राधिकृत किया ।

6. समिति ने यह इच्छा भी व्यक्त की कि गृह मंत्रालय समिति को प्राप्त हुए विभिन्न ज्ञापनों/सुझावों को सारणीबद्ध करे और ज्ञापनों में उठाई गई विभिन्न बातों पर समिति के विचारार्थ अपना मत व्यक्त करे ।

7. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई ।

दो

दूसरी बैठक

समिति की बैठक बुधवार, 11 अक्तूबर, 1972 को 15.00 से 17.15 बजे तक हुई ।

उपस्थिति

श्री आर० डी० भंडारे---**सभापति**

सदस्य

लोक सभा

2. श्री मूलचन्द डागा
3. श्री मधु दंडवते
4. श्री तुलसीदास दासप्पा
5. श्री बीरेन दत्त
6. श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी
7. श्रीमती सुभद्रा जोशी
8. डा० कैलास
9. श्री पुरुषोत्तम काकोडकर
10. श्री लीलाधर कटकी
11. श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा
12. श्री मुख्तियार सिंह मलिक
13. श्री प्रसन्नभाई मेहता
14. श्री एफ० एच० मोहसिन

15. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी
16. श्री सरजू पांडे
17. श्री एच० एम० पटेल
18. श्री एम० सत्यनारायण राव
19. श्री इब्राहीम सुलेमान सेट
20. श्री नवल किशोर शर्मा
21. श्री बी० आर० शुक्ल
22. श्री एन० टोम्बी सिंह
23. श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव

राज्य सभा

24. श्री टोडक बासर
25. श्री शंकरराव बाजीराव बोवड़े
26. श्री नवीन चन्द्र बरगोहेन
27. श्री महेन्द्र मोहन चौधरी
28. श्रीमती सीता देवी
29. श्री इब्राहीम कलानिया
30. श्री एम० एस० अब्दुल खादर
31. डा० भाई महाबीर
32. श्री वीरेन्द्र पाटिल
33. श्री हमीद अली शामनाड
34. श्री योगेन्द्र शर्मा
35. श्री भोला पासवान शास्त्री
36. श्री रणबीरसिह
37. श्री सीताराम सिंह
38. श्री सिकन्दर अली वज्य

विधायी परामर्शदाता

श्री आर० वी० एस० पेरि शास्त्री---**अपर विधायी परामर्शदाता**

गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री टी० सी० ए० श्रीनिवासर्द्धन---**संयुक्त सचिव।**
2. श्री एस० बालकृष्णन---**संयुक्त सचिव।**
3. श्री श्यामलाल घोष---**अवर सचिव।**

सचिवालय

श्री हरि गोपाल परांजपे--- **उप-सचिव।**

2. गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री राम निवास मिर्धा ने, जो संयुक्त समिति के सदस्य नहीं हैं।, लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 299 के अन्तर्गत सभापति की अनुमति से बैठक मे भाग लिया।

3. समिति द्वारा भारतीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली की वकील एसोसिएशन के प्रतिनिधि, डा० डब्लू० एस० वारलिंगे, अधिवक्ता, का साक्ष्य सुनने से पहले सभापति ने उनका ध्यान अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 58 की ओर दिलाया ।

साक्ष्य 17.15 बजे तक चलता रहा ।

4. कार्यवाही का शब्दशः अभिलेख रखा गया ।

5. तत्पश्चात् समिति की बैठक गुरुवार, 12 अक्तूबर, 1972 को 11.00 बजे समवेत होने के लिए स्थगित हुई ।

तीन

तीसरी बैठक

समिति की बैठक गुरुवार, 12 अक्तूबर, 1972 को 11.00 से 13.10 बजे तक हुई ।

उपस्थित

श्री आर० डी० भण्डारे—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री मूल चन्द डागा
3. श्री मधु दण्डवते
4. श्री तुलसीदास दासप्पा
5. श्री बीरेन दत्त
6. श्री सी० डी० गौतम
7. श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी
8. डा० कैलास
9. श्री पुरुषोत्तम काकोडकर
10. श्री लीलाधर कटकी
11. श्री मुख्तियार सिंह मलिक
12. श्री प्रसन्नभाई मेहता
13. श्री एफ० एच० मोहसीन
14. श्री बी० वी० नायक
15. श्री सरजू पांडे
16. श्री एच० एम० पटेल
17. श्री एम० सत्यनारायण राव
18. श्री इब्राहीम सूलेमान सेट
19. श्री नवल किशोर शर्मा
20. श्री बी० आर० शुक्ल
21. श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव

राज्य सभा

22. श्री टोडक बासर
23. श्री शंकरराव बाजीराव बोबडे
24. श्री नवीनचन्द्र बरगोहेन
25. श्री महेन्द्र मोहन चौधरी
26. श्री मती सीता देवी
27. श्री इब्राहीम कलानिया
28. श्री एम० एस० अब्दुल सादर
29. डा० भाई महावीर
30. श्री वीरेन्द्र पाटिल
31. श्री हमीद अली शामनाड
32. श्री योगेन्द्र शर्मा
33. श्री भोला पासवान शास्त्री
34. श्री रणबीर सिंह
35. श्री सीताराम सिंह
36. श्री सिकन्दर अली वज्द

विधायी परामर्शदाता

श्री आर० वी० एस० पेरि-शास्त्री---अतिरिक्त विधायी परामर्शदाता

गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री एस० बालकृष्णन---**संयुक्त सचिव**
2. श्री श्यामल घोष---**अवर सचिव**

सचिवालय

श्री हरिगोपाल परांजये---**उप-सचिव** ।

2. गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री राम निवास मिर्धा ने जो समिति के सदस्य नहीं है, लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 299 के अधीन सभापति की अनुमति से बैठक में भाग लिया ।

3. दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएसन, नई दिल्ली के निम्नलिखित प्रतिनिधियों का साक्ष्य सुनने की कार्यवाही समिति द्वारा आरम्भ किये जाने से पूर्व सभापति ने अध्यक्ष द्वारा निदेशों के निदेश 58 के उपबन्धों की ओर उनका ध्यान दिलाया :

1. श्री कुलवन्त सिंह बिंदरा---**उपाध्यक्ष**
2. श्री योगेश कुमार सभरवाल---**सचिव**

साक्ष्य 13.00 बजे तक चला ।

4. साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया ।

5. समिति ने अनुभव किया कि चूंकि समिति ने विधेयक के विभिन्न चरणों पर अभी विचार करना है तथा उनको पूरा करना है, अतः निर्धारित तारीख तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना समिति के लिये सम्भव नहीं होगा । अतः समिति ने नवम्बर-दिसम्बर, 1972 सत्र के अन्तिम दिन तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये समय बढ़ाने की मांग करने का निश्चय किया ।

6. समिति ने सोमवार, 13 नवम्बर, 1972 को समय बढ़ाने के लिये सभा में आवश्यक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सभापति तथा उनकी अनुपस्थिति में श्री नवल किशोर शर्मा का प्राधिकृत किया ।

7. तत्पश्चात् समिति ने उसके समक्ष दिये गये साक्ष्य से उत्पन्न बातों पर शुक्रवार, 10 नवम्बर, 1972 को 15.00 बजे होने वाला अपनी अगली बैठक में सामान्य चर्चा करने का निश्चय किया ।

8. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई ।

चार

चौथी बैठक

समिति की बैठक शुक्रवार, 10 नवम्बर, 1972 को 15.00 से 17.20 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री आर० डी० भण्डारे—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री मूल चन्द डागा
3. श्री मधु दण्डवते
4. श्री बीरेन दत्त
5. श्री सी० डी० गौतम
6. श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी
7. श्री पुरुषोत्तम काकोडकर
8. श्री सतपाल कपूर
9. श्री लीलाधर कटकी
10. श्री मुख्तियार सिंह मलिक
11. श्री प्रसन्न भाई मेहता
12. श्री सरजू पांडे
13. श्री एच० एम० पटेल
14. श्री सत्य नारायण राव
15. श्री नवल किशोर शर्मा
16. श्री एन० तोम्बी सिंह
17. श्री सी० एम० स्टीफन
18. श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव

राज्य सभा

19. श्री शंकर राव बाजीराव बोवडे
20. श्रीमती सीता देवी
21. श्री इब्राहीम कलानिया
22. श्री एम० एस० अब्दुल खादर
23. डा० भाई महावीर
24. श्री योगेन्द्र शर्मा
25. श्री भोला पासवान शास्त्री
26. श्री रणबीर सिंह
27. श्री सीताराम सिंह

विधायी परामर्शदाता

श्री आर० वी० एस० पेरि-शास्त्री--**अतिरिक्त विधायी परामर्शदाता**

गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री टी० सी० ए० श्रीनिवासावर्धन-- **संयुक्त सचिव**
2. श्री एस० बालकृष्णन्--**संयुक्त सचिव**
3. श्री श्यामल घोष--**अवर सचिव**

सचिवालय

श्री हरिगोपाल परांजपे--**उप-सचिव**

2. गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री राम निवास मिर्धा ने, जो समिति के सदस्य नहीं हैं, लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 299 के अधीन सभापति की अनुमति से बैठक में भाग लिया ।

3. समिति ने विधेयक के उपबन्धों तथा समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य से उत्पन्न बातों पर सामान्य चर्चा की ।

4. समिति ने निश्चय किया कि विक्षुब्ध क्षेत्र (विशेष न्यायालय) विधेयक, 1972 के उपबन्धों से सम्बन्धित दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन का एक संक्षिप्त सार देने के लिये गृह मंत्रालय से कहा जाये ।

5. तत्पश्चात् समिति ने अपने भावी कार्यक्रम पर विचार किया । कुछ विचार-विमर्श के पश्चात् समिति ने निम्न-लिखित कार्यक्रम स्वीकार किया :--

(एक) 7 और 8 दिसम्बर, 1972 को विधेयक पर खण्डवार विचार ।

(दो) संशोधनों के नोटिस 1 दिसम्बर, 1972 तक प्रस्तुत कर दिये जायें ।

6. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई ।

पाँच

पांचवी बैठक

समिति की बैठक गुरुवार, 7 दिसम्बर, 1972 को 15.00 बजे से 15.30 बजे तक हुई ।

उपस्थित

श्री आर० डी० भंडारे--**सभापति**

सदस्य

लोक सभा

2. श्री सी० डी० गौतम
3. श्री पुरुषोत्तम काकोडकर
4. श्री प्रसन्न भाई मेहता
5. श्री जी० एस० मिश्र
6. श्री एफ० एच० मोहसिन
7. श्री बी० वी० नायक
8. श्री सरजू पांडे
9. श्री एच० एम० पटेल

राज्य सभा

10. श्री टोडक बासर
11. श्रीमती सीता देवी
12. श्री हमीद अली शामनाड
13. श्री योगेन्द्र शर्मा
14. श्री भोला पासवान शास्त्री
15. श्री रणवीर सिंह

गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री टी० सी० ए० श्रीनिवासवर्धन–संयुक्त सचिव
2. श्री एस० बालाकृष्णन्–संयुक्त सचिव
3. श्री श्यामल घोष––अवर सचिव

सचिवालय

श्री हरिगोपाल परांजपे––उप-सचिव

2. गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री रामनिवास मिर्धा ने जो समिति के सदस्य नहीं हैं, लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन संबंधी नियमों के नियम 299 के अनुसार सभापति की अनुमति से समिति की बैठक में भाग लिया।

3. समिति को बताया गया कि संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में दण्ड प्रक्रिया संहिता विधेयक, 1970 वर्तमान संहिता में अनेक परिवर्तन करता है तथा कुछ परिवर्तनों का विक्षुब्ध क्षेत्र (विशेष न्यायालय) विधेयक के उपबन्धों पर प्रभाव पड़ा है। इन परिवर्तनों को देखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता विधेयक संसद् द्वारा पारित किये जाने के बाद समिति दण्ड प्रक्रिया संहिता विधेयक के उपबन्धों के अनुसार विधेयक पर और आग विचार करेगी ।

4. कुछ विचार-विमर्श के बाद यह अनुभव किया गया कि समिति के लिये निर्धारित तारीख अर्थात् 22 दिसम्बर, 1972 तक अपना कार्य पूरा कर पाना सम्भव नहीं होगा। अतः समिति ने अपना प्रतिवेदन शुक्रवार, 30 मार्च, 1973 तक प्रस्तुत करने के लिये समय में और वृद्धि करने का अनुरोध करने का निर्णय किया।

5. समिति ने सभापति और उनकी अनुपस्थिति में श्री पुरुषोत्तम काकोडकर को सभा में आवश्यक प्रस्ताव रखने के लिये प्राधिकृत किया।

6. तत्पश्चात् समिति ने सोमवार, 29 जनवरी, 1973 को विधेयक पर खण्ड-वार विचार करने के लिये पुनः बैठक करने का निर्णय किया।

7. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

छः

छठी बैठक

समिति की बैठक सोमवार, 29 जनवरी, 1973 को 15.00 बजे से 15.40 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री आर० डी० भंडारे––सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री मूल चन्द डागा
3. श्री मधु दण्डवते
4. श्री तुलसीदास दासप्पा
5. श्री बीरेन दत्त
6. श्री सी० डी० गौतम
7. डा० कैलाश

8. श्री पुरुषोत्तम काकोडकर
9. श्री सतपाल कपूर
10. श्री लीलाधर कटकी
11. श्री मुख्तियार सिंह मलिक
12. श्री एफ० एच० मोहसिन
13. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी
14. श्री बी० वी० नायक
15. श्री सरज पाण्डे
16. श्री बी० आर० शुक्ल
17. श्री आर० पी० यादव

राज्य सभा

18. श्री एस० बी० बोबडे
19. श्री नवीन चन्द्र बरगोहेन
20. श्री महेन्द्र मोहन चौधरी
21. श्रीमती सीता देवी
22. डा० भाई महावीर
23. श्री वीरेन्द्र पाटिल
24. श्री योगन्द्र शर्मा
25. श्री भोला पासवान शास्त्री

गृह मंत्रालय के प्रतितिधि

1. श्री टी० सी० ए० श्रीनिवासवर्धन—**संयुक्त सचिव**
2. श्री एस० बालाकृष्णन्—**संयुक्त सचिव**
3. श्रीमती पी० रामचन्द्रन्—**निदेशक**

सचिवालय

श्री हरिगोपाल परांजपे—**उप-सचिव**

2. गृह मत्रालय में राज्य मंत्री श्री रामनिवास मिर्धा ने जो समिति के सदस्य नहीं है, लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमों के नियम 299 के अनुसार सभापति की अनुमति से समिति की बैठक में भाग लिया।

3. सभापति ने समिति को बताया कि 7 दिसम्बर, 1972 को आयोजित समिति की पिछली बैठक में यह निर्णय किया गया था कि संसद् के दोनों सदनों द्वारा पारित रूप में दण्ड प्रक्रिया संहिता विधेयक के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए विधेयक पर और आगे विचार किया जायेगा। दण्ड प्रक्रिया संहिता विधेयक राज्य सभा द्वारा पहले ही पारित कर दिया गया है तथा अब यह लोक सभा में विचाराधीन है।

4. कुछ विचार विमर्श के बाद समिति ने अनुभव किया कि निर्धारित तारीख अर्थात् 30 मार्च, 1973 तक अपना कार्य पूरा कर पाना उनके लिये सम्भव नहीं होगा। अतः समिति ने अपना प्रतिवेदन आगामी वर्षाकालीन सत्र, 1973 के प्रथम सप्ताह के पहले दिन तक प्रस्तुत करने के लिये समय में और वृद्धि करने का अनुरोध करने का निर्णय किया।

5. समिति ने सभापति और उनकी अनुपस्थिति में श्री सी० डी० गौतम को आगामी बजट सत्र में सभा में आवश्यक प्रस्ताव रखने के लिये प्राधिकृत किया।

6. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

सात

सातवीं बैठक

समिति की बैठक मंगलवार, 15 मई, 1973 को 10.00 बजे से 10.30 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री लीलाधर कटकी—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री मधु दण्डवते
3. श्री बीरेन दत्त
4. श्री सी० डी० गौतम
5. श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी
6. डा० कैलास
7. श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा
8. श्री प्रसन्नभाई मेहता
9. श्री सरजू पाण्डे
10. श्री एच० एम० पटेल
11. श्री एम० सत्यनारायण राव
12. श्री इब्राहीम सुलेमान सेट
13. श्री बी० आर० शुक्ल

राज्य सभा

14. श्री शंकरराव बाजीराव बोबडे
15. श्री नवीन चन्द्र बरगोहेन
16. श्रीमती सीता देवी
17. श्री एम० एस० अब्दुल खादर
18. श्री योगेन्द्र शर्मा

विधायी परामर्शदाता

श्री आर० वी० एस० पेरि-शास्त्री—संयुक्त सचिव तथा विधायी परामर्शदाता

गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री बाल कृष्णन्—संयुक्त सचिव
2. श्री पी० रामचन्द्रन्— निदेशक
3. श्री श्यामलाल घोष—अवर सचिव

सचिवालय

श्री एच० जी० परांजपे—उप-सचिव

2. गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री रामनिवास मिर्धा ने, जो इस समिति के सदस्य नहीं हैं, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 299 के अन्तर्गत सभापति की अनुमति से समिति की बैठक में भाग लिया ।

3. तत्पश्चात् समिति ने भविष्य के अपने कार्यक्रम पर विचार किया। कुछ विचार विमर्श के बाद समिति ने यह निर्णय किया कि इस बात का निश्चय करने के लिये कि क्या दण्ड प्रक्रिया संहिता विधेयक के उपबन्धों में वे सभी बातें समाविष्ट हैं जो विक्षुब्ध क्षेत्र (विशेष न्यायालय) विधेयक, 1972 के उपबन्धों में हैं तथा यह कि क्या दण्ड प्रक्रिया संहिता विधेयक में किसी संशोधन के किये जाने की सिफारिश की जानी चाहिए, दण्ड प्रक्रिया संहिता विधेयक के उपबंधों की जांच की जाये।

4. तत्पश्चात् समिति ने मामले पर विचार करने के लिये बुधवार, 27 जून को 15.00 बजे तथा बृहस्पतिवार, 28 जून, 1973 को 11.00 बजे समवेत होने का निर्णय किया।

5. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

आठ

आठवीं बैठक

समिति की बैठक बुधवार, 27 जून, 1973 को 15.00 बजे से 16.00 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री लीलाधर कटकी—**सभापति**

सदस्य

लोक सभा

2. श्री बीरेन दत्त
3. श्री सी० डी० गौतम
4. डा० कैलास
5. श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा
6. श्री मुख्तियार सिंह मलिक
7. श्री जी० एस० मिश्र
8. श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी
9. श्री सरजू पाण्डे
10. श्री एम० सत्यनारायण राव
11. श्री इब्राहीम सुलेमान सेट
12. श्री नवल किशोर शर्मा
13. श्री बी० आर० शुक्ल
14. श्री एन० टोम्बी सिंह
15. श्री सी० एम० स्टीफन

राज्य सभा

16. श्री शंकरराव बाजीराव बोबड़े
17. श्री नबीन चन्द्र बरगोहेन
18. श्रीमती सीता देवी
19. श्री एम० एस० अब्दुल खादर
20. डा० भाई महावीर
21. श्री योगेन्द्र शर्मा
22. श्री रणबीर सिंह

विधायी परामर्शदाता

श्री एस० के० मैत्रा– संयुक्त सचिव तथा विधायी परामर्शदाता

गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री एस० बालकृष्णन्–संयुक्त सचिव
2. श्री श्यामल घोष––अवर सचिव

सचिवालय

श्री एच० जी० परांजपे–– उप-सचिव

2. गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री राम निवास मिर्धा ने, जो इस समिति के सदस्य नहीं हैं, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 299 के अन्तर्गत सभापति की अनुमति से समिति की बैठक में भाग लिया।

3. तत्पश्चात् समिति ने उस नोट पर विचार करना आरम्भ किया जिसमें राज्य सभा द्वारा पारित विक्षुब्ध क्षेत्र (विशेष न्यायालय) विधेयक, 1972 तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता विधेयक के उपबन्धों में समानता वाली बातों का उल्लेख किया गया है। विचार विमर्श अभी समाप्त नहीं हुआ।

4. तत्पश्चात् समिति की बैठक वृहस्पतिवार, 28 जून, 1973 को 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिये स्थगित हुई।

नौ

नौवीं बैठक

समिति की बैठक गुरुवार, 28 जून, 1973 को 11.00 बजे से 11.50 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री लीलाधर कटकी––सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री सी० डी० गौतम
3. डा० कैलास
4. श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा
5. श्री मुख्तियार सिंह मलिक
6. श्री सरजू पांडे
7. श्री एम० सत्यनारायण राव
8. श्री इब्राहीम सुलेमान सेट
9. श्री नवल किशोर शर्मा
10. श्री एन० टोम्बी सिंह

राज्य सभा

11. श्री एस० बी० बोबड़े
12. श्री नवीन चन्द्र बरगोहेन
13. श्रीमती सीता देवी
14. श्री इब्राहीम भाई कासम भाई कलानिया

15. श्री एम० एस० अब्दुल खादर
16. डा० भाई महावीर
17. श्री योगेन्द्र शर्मा
18. श्री रणबीर सिंह

विधायी परामर्शदाता

श्री एस० के० मैत्रा—संयुक्त सचिव तथा विधायी परामर्शदाता

गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री एस० बालाकृष्णन—संयुक्त सचिव
2. श्री श्यामलाल घोष—अवर सचिव

सचिवालय

श्री हरि गोपाल परांजपे—उप-सचिव

2. गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री राम निवास मिर्धा ने, जो समिति के सदस्य नहीं हैं, लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 299 के अनुसार सभापति की अनुमति से समिति की बैठक में भाग लिया।

3. समिति ने बिक्षुब्ध क्षेत्र (विशेष न्यायालय) विधेयक, 1972 तथा राज्य सभा द्वारा पारित दण्ड प्रक्रिया संहिता विधेयक में समानता दर्शाने वाले टिप्पण पर आगे विचार आरम्भ किया। समिति का विचार था कि इस विधेयक पर आगे विचार दण्ड प्रक्रिया संहिता विधेयक संसद के दोनों सभाओं द्वारा पारित हो जाने तक स्थगित रखा जाये।

4. समिति ने निर्णय किया कि चूंकि समिति के लिये निर्धारित तारीख, अर्थात 27 जुलाई, 1973 तक अपना कार्य पूरा कर पाना सम्भव नहीं है अतः समिति के अपना प्रतिवेदन शीतकालीन सभा 1973 के अन्तिम सप्ताह के पहले दिन तक प्रस्तुत करने के लिये और समय बढ़ाये जाने का अनुरोध करने का निर्णय किया।

5. समिति ने सभापति और उनकी अनुपस्थिति में श्री सी० डी० गौतम संसद सदस्य को सभा में आवश्यक प्रस्ताव रखने के लिये प्राधिकृत किया।

6. समिति ने सभापति को लोक-सभा के आगामी समय के दौरान समिति का भावी कार्यक्रम तैयार करने के लिये समिति की अगली बैठक की तारीख निश्चित करने के लिये प्राधिकृत किया।

7. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

दस
दसवीं बैठक

समिति की बैठक बुधवार 29 अगस्त, 1973 को 15.00 बजे से 16.00 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री लीलाधर कटकी—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री मधु दण्डवते
3. श्री बीरेन दत्त
4. श्री सी० डी० गौतम
5. श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी
6. डा० कैलास

7. श्री पुरुषोत्तम काकोडकर
8. श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा
9. श्री जी० एस० मिश्र
10. श्री बालाकृष्ण बेंकन नायक
11. श्री एम० सत्यनारायण राव
12. श्री इब्राहीम सुलेमान सेट
13. श्री बी० आर० शुक्ल
14. श्री सी० एम० स्टीफन
15. श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव

राज्य सभा

16. श्री रणबीर सिंह

विधायी परामर्शदाता

श्री आर० वी० एस० पेरि-शास्त्री—संयुक्त सचिव तथा विधायी परामर्शदाता ।

गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि

1 श्री टी० सी० ए० श्रीनिवासावरदन—अतिरिक्त सचिव
2. श्री एस० बालाकृष्णन्—संयुक्त सचिव
3. श्री श्यामल घोष—अवर सचिव

सचिवालय

श्री हरि गोपाल परांजपे—उपसचिव ।

2. गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री राम निवास मिर्धा ने, जो समिति के सदस्य नहीं है, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 299 के अधीन सभापति की अनुमति से बैठक में भाग लिया ।

3. समिति ने अपने भावी कार्यक्रम के संबंध में विचार किया । कुछ विचार विमर्श के पश्चात् समिति ने विधेयक पर खण्ड-वार विचार करने के लिये 30 तथा 31 अक्तूबर, 1973 को अपनी बैठक करने का निर्णय किया ।

4. समिति ने यह निर्णय भी किया कि सदस्य विधेयक के संबंध में सशोधनों की सूचनाएं, यदि हों, शनिवार, 20 अक्तूबर, 1973 तक दे दें ।

5. तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई ।

ग्यारह

ग्यारहवीं बैठक

समिति की बैठक बुधवार, 28 नवम्बर, 1973 को 15.00 बजे से 15.45 बजे तक हुई ।

उपस्थित

श्री लीलाधर कटकी—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री मधु दण्डवते
3. श्री सी० डी० गौतम
4. श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी
5. डा० कैलास

6. श्री विक्रम महाजन
7. श्री बी० वी० नायक
8. श्री सरजू पांडे
9. श्री एच० एम० पटेल
10. श्री इब्राहीम सुलेमान सेट
11. श्री बी० आर० शुक्ल
12. श्री एन० टोम्बी सिंह

राज्य सभा

13. श्री नवीन चन्द्र बरगोहेन
14. श्रीमती सीता देवी
15. श्री रणबीर सिंह

विधायी परामर्शदाता

श्री आर० वी० एस० पेरिशास्त्री— संयुक्त सचिव तथा विधायी परामर्शदाता ।

गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री एस० बालकृष्णन—संयुक्त सचिव
2. श्री श्यामल घोष—अवर सचिव

सचिवालय

श्री हरि गोपाल परांजपे—उप-सचिव ।

2. गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री राम निवास मिर्धा ने, जो समिति के सदस्य नहीं हैं, लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 299 के अधीन सभापति की अनुमति से समिति की बैठक में भाग लिया ।

3. समिति को बताया गया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता विधेयक लोक-सभा में अभी विचाराधीन है । कुछ विचार विमर्श के पश्चात् समिति ने अनुभव किया कि समिति के लिये निर्धारित तारीख अर्थात् 17 दिसम्बर, 1973 तक अपना कार्य पूरा करना सम्भव नहीं होगा तथा यह निर्णय किया कि समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए अगले सत्र (बजट सत्र, 1974) के अन्तिम सप्ताह के पहले दिन तक और समय बढ़ाने की मांग की जाये ।

4. तत्पश्चात् समिति ने लोक-सभा के सभी सदस्यों को भेजने के लिये उस ज्ञापन (अनुबन्ध) को स्वीकृत किया, जिसमें प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिये समय बढ़ाये जाने के कारण दिये गये थे ।

5. समिति ने 10 दिसम्बर, 1973 को समिति के सभापति को तथा उनकी अनुपस्थिति में श्री बी० आर० शुक्ल को सभा में आवश्यक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये प्राधिकृत किया ।

6. समिति ने सभापति को अगली अन्तःसत्रावधि के दौरान समिति की अगली बैठक की तारीख निर्धारित करने के लिये भी प्राधिकृत किया ।

7. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई ।

बारह

बारहवीं बैठक

समिति की बैठक शुक्रवार, 18 जनवरी, 1974 को 15.00 बजे से 15.30 बजे तक हुई ।

उपस्थित

श्री लीलाधर कटकी--सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री मूल चन्द डागा
3. श्री बीरेन दत्त
4. डा० कैलाश
5. श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा
6. श्री मुख्तियार सिंह मलिक
7. श्री जी० एस० मिश्र
8. श्री एम० सत्यनारायण राव
9. श्री नवल किशोर शर्मा
10. श्री एन० तोम्बी सिंह
11. श्री सी० एम० स्टीफन

राज्य सभा

12. श्री नवीन चन्द्र बरगोहेन
13. श्रीमती सीता देवी
14. श्रीमती जहानआरा जयपाल सिंह
15. श्री वीरेन्द्र पाटिल
16. श्री हमीद अली शामनाड
17. श्री रणबीर सिंह

विधायी परामर्शदाता

श्री आर० वी० एस० पेरिशास्त्री-- संयुक्त सचिव तथा विधायी परामर्शदाता

गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री एस० बालकृष्णन--संयुक्त सचिव
2. श्रीमती पी० रामचन्द्रन--निदेशक

सचिवालय

श्री हरिगोपाल परांजपे--उप-सचिव ।

2. गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री राम निवास मिर्धा ने, जो समिति के सदस्य नहीं हैं, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 299 के अन्तर्गत सभापति की अनुमति से बैठक में भाग लिया ।

3. समिति ने प्राक्कलन समिति के सभापति श्री कमल नाथ तिवारी के निधन पर शोक व्यक्त किया और निम्नलिखित शोक प्रस्ताव पारित किया :--

"समिति अपने अति सम्मानित सहयोगी और प्राक्कलन समिति के सभापति श्री कमल नाथ तिवारी के 17 जनवरी, 1974 को हुए आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है और शोक संतप्त परिवार के सदस्यों को अपनी हार्दिक संवेदनायें भेजती है ।"

तत्पश्चात , सदस्य मृतक के सम्मान में थोड़ी देर तक मौन खड़े रहे ।

4. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई ।

तेरह

तेरहवीं बैठक

समिति की बैठक बुधवार, 30 जनवरी, 1974 को 11.00 बजे से 13.00 बजे तक हुई ।

उपस्थित

श्री लीलाधर कटकी—सभापति

सदस्य

लोक-सभा

2. श्री मूल चन्द डागा
3. श्री मधु दण्डवते
4. श्री तुलसी दास दासप्पा
5. श्री बीरेन दत्त
6. श्री सी० डी० गौतम
7. डा० कैलास
8. श्री पुरुषोत्तम काकोडकर
9. श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा
10. श्री मुख्तियार सिंह मलिक
11. श्री प्रसन्न भाई मेहता
12. श्री एफ० एच० मोहसिन
13. श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी
14. श्री बालकृष्ण वेनकन्ना नायक
15. श्री एम० सत्य नारायणराव
16. श्री बी० आर० शुक्ल
17. श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव

राज्य-सभा

18. श्री शंकर राव बाजीराव बोबडे
19. श्री नवीन चन्द्र बरगोहेन
20. श्रीमती सीता देवी
21. श्रीमती जहानआरा जयपाल सिंह
22. श्री एम० एस० अब्दुल खादर
23. डा० भाई महावीर
24. श्री वीरेन्द्र पाटिल
25. श्री रणबीर सिंह
26. श्री योगेन्द्र शर्मा
27. श्री सीताराम सिंह

विधायी परामर्शदाता

श्री आर० वी० एस० पैरी-शास्त्री– संयुक्त सचिव तथा विधायी परामर्शदाता ।

गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री एस० बालकृष्णन्––संयुक्त सचिव ।
2. श्रीमती पी० रामचन्द्र––निदेशक ।

सचिवालय

श्री हरिगोपाल परांजपे––उप-सचिव

2. गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री राम निवास मिर्धा ने, जो समिति के सदस्य नहीं हैं, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 299 के अन्तर्गत सभापति की अनुमति से बैठक में भाग लिया ।

3. समिति ने उन शहीदों की स्मृति में जिन्होंने भारत के स्वतन्त्रता संग्राम में अपना जीवन अर्पित किया था, 11.00 बजे दो मिनट का मौन रखा ।

4. समिति ने गृह मंत्रालय द्वारा तैयार किये गये उस टिप्पण पर विचार आरम्भ किया जिसमें विक्षुब्ध क्षेत्र (विशेष न्यायालय) विधेयक, 1972 के उपबन्धों और संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित रूप में दण्ड प्रक्रिया संहिता विधेयक के उपबन्धों की समानता के बारे में बताया था । चर्चा पूरी नहीं हुई ।

5. समिति की बैठक बृहस्पतिवार, 31 जनवरी, 1974 को 11.00 बजे पुनः समवेत होने तक के लिये 3.00 बजे समाप्त हो गई ।

चौदह

चौदहवीं बैठक

समिति की बैठक गुरुवार, 31 जनवरी, 1974 को 11.00 बजे से 13.00 बजे तक हुई ।

उपस्थित

श्री लीलाधर कटकी––सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री मूल चन्द डागा
3. श्री मधु दण्डवते
4. श्री तुलसी दास दासप्पा
5. श्री बीरेन दत्त
6. श्री सी० डी० गौतम
7. श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी
8. श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा
9. श्री विक्रम महाजन
10. श्री मुख्तियार सिंह मलिक
11. श्री प्रसन्न भाई मेहता
12. श्री बालकृष्ण वेनकन्ना नायक
13. श्री एन० टोम्बी सिंह
14. श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव

राज्य सभा

15. श्री शंकरराव बाजीराव बोबडे

16. श्री नवीन चन्द्र बरगोहेन

17. श्रीमती सीता देवी

18. श्री इब्राहीम भाई कासमभाई कलानिया

19. डा० भाई महावीर

20. श्री योगेन्द्र शर्मा

21. श्री रणबीर सिंह

22. श्री सीताराम सिंह

विधायी परामर्शदाता

श्री आर० वी० एस० पेरिशास्त्री--- संयुक्त सचिव तथा विधायी परामर्शदाता ।

गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्रीमती पी० रामचन्द्रन---निदेशक ।

2. श्री एस० डी० श्रीवास्तव---अवर सचिव ।

सचिवालय

श्री हरिगोपाल परांजपे---उप-सचिव ।

2. यह मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री राम निवास मिर्धा ने, जो समिति के सदस्य नहीं हैं, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 299 के अन्तर्गत सभापति की अनुमति से बैठक में भाग लिया ।

3 समिति ने गृह मंत्रालय द्वारा तैयार किये गये उस टिप्पण पर विचार करना आरम्भ किया जिसमें विक्षुब्ध क्षेत्र (विशेष न्यायालय) विधेयक, 1972 के उपबन्धों और संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित रूप में दण्ड प्रक्रिया संहिता विधेयक के उपबन्धों की समानता के बारे में बताया गया है। चर्चा 13.00 बजे पूरी हुई ।

4. तत्पश्चात् समिति ने अपने भावी कार्यक्रम पर विचार किया और यह निश्चय किया :--

(एक) सरकारी संशोधनों की सूचनाएं प्राप्त करने की अंतिम तारीख — सोमवार, 25 फरवरी, 1974

(दो) सदस्यों से संशोधनों की सूचनाएं प्राप्त करने की अंतिम तारीख — सोमवार, 11 मार्च, 1974

(तीन) विधेयक पर खण्डवार विचार — बुधवार, 20 तथा गुरुवार, 21 मार्च, 1974

(चार) प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार — गुरुवार, 4 अप्रैल, 1974

(पांच) प्रतिवेदन प्रस्तुत करना — गुरुवार, 11 अप्रैल, 1974

5. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई ।

पन्द्रह

पन्द्रहवीं बैठक

समिति की बैठक बुधवार, 20 मार्च, 1974 को 15.00 बजे से 15.30 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री लीलाधर कटकी--**सभापति**

सदस्य

लोक सभा

2. श्री बीरेन दत्त
3. श्री सी० डी० गौतम
4. डा० कैलाश
5. श्री प्रसन्नभाई मेहता
6. श्री एफ० एच० मोहसिन
7. श्री सरजू पांडे

राज्य सभा

8. श्री शंकरराव बाजीराव बोबडे

विधायी परामर्शदाता

श्री आर० वी० एस० पेरि-शास्त्री-- **संयुक्त सचिव तथा विधायी परामर्शदाता ।**

गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री एस० बालाकृष्णन्--**संयुक्त सचिव ।**
2. श्री बी० आर० पटेल- **संयुक्त सचिव ।**
3. श्रीमती पी० रामचन्द्रन-**निदेशक ।**
4. श्री एस० डी० श्रीवास्तव--**अवर सचिव ।**

सचिवालय

श्री हरि गोपाल परांजपे--**उप-सचिव ।**

2. समिति की बैठक गणपूर्ति न होने के कारण स्थगित हो गयी।

3. सभापति ने घोषणा की कि समिति की 2 मार्च तथा 4 अप्रैल, 1974 को होने वाली बैठकें रद्द कर दी गयी हैं। उन्होंने आगे यह भी बताया कि समिति, सोमवरा 8 अप्रैल तथा मंगलवार 9 अप्रैल 1974 को होने वाली बैठकों में विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ करेगी तथा गुरुवरा 25 अप्रैल 1974 को प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया जायेगा और उसे स्वीकार किया जायेगा। बैठकें प्रतिदिन 9.30 बजे से होंगी।

सोलह

सोलहवीं बैठक

समिति की बैठक सोमवार, 8 अप्रैल, 1974 को 9.30 बजे से 10.30 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री लीलाधर कटकी--**सभापति**

सदस्य

लोक सभा

2. श्री मधु दंडवते
3. श्री सी० डी० गौतम
4. श्री पुरुषोतम काकोडकर
5. श्री एफ० एच० मोहसिन
6. श्री बालकृष्ण वेंकन्ना नायक
7. श्री एच० एम० पटेल
8. श्री बी० आर० शुक्ल
9. श्री एन० टोम्बी सिंह

राज्य सभा

10. श्री शंकरराव बाजीराव बोबडे
11. श्री नबीन चन्द्र बरगोहेन
12. श्री एम० एस० अब्दुल खादर
13. डा० भाई महावीर
14. श्री हमीद अली शामनाड
15. श्री योगेन्द्र शर्मा
16. श्री रणबीर सिंह
17. श्री सिकन्दर अली वज्द

विधायी परामर्शदाता

श्री आर० वी० एस० पेरि-शास्त्री--**संयुक्त सचिव तथा विधायी परामर्शदाता**

गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री एस० बालकृष्ण-- **संयुक्त सचिव**
2. श्री बी० आर० पटेल--**संयुक्त सचिव**
3. श्रीमती पी० रामचन्द्रन --**निदेशक**
4. श्री एस० डी० श्रीवास्तव--**अवर सचिव**।

सचिवालय

श्री हरि गोपाल परांजपे—**उप-सचिव** ।

2. समिति ने विधेयक पर खंड वार विचार शुरू किया।

3. **खण्ड** 2—निम्न संशोधन स्वीकार किए गए :-

(एक) पृष्ठ 2, पंक्ति 2,

"1898" **के स्थान पर** "1973" **प्रतिस्थापित** किया जाये

(दो) पृष्ठ 2, पंक्ति 4 के **बाद अन्तःस्थापित** किया जाये ।

"(खख) किसी विक्षुब्ध क्षेत्र के सम्बन्ध में विक्षोभ की अवधि से वह अवधि अभिप्रेत है जिसके दौरान वह धारा 3 के प्रयोजनों के लिए विक्षुब्ध क्षेत्र है ;"

दो—समिति में जिन संशोधनों पर विचार किया गया किन्तु जिन्हें स्वीकार नहीं किया वह अनुबन्ध में दिये गये हैं।

खण्ड, संशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ ।

4. खण्ड 3—खण्ड पर विचार स्थगित किया गया ।

5. तत्पश्चात् समिति की बैठक मंगलवार, 9 अप्रैल, 1974 को 9.30 बजे समवेत होने के लिए स्थगित हुई ।

अनुबन्ध

संशोधनों की सूचनाएं जिन पर संयुक्त समिति ने 8 अप्रैल 1974 को हुई अपनी बैठक में विचार किया और जिन्हें स्वीकार नहीं किया गया ।

क्रम संख्या	सदस्य का नाम और संशोधन का पाठ

खण्ड 2

श्री एच० एम० पटेल :

1 पृष्ठ 2, पंक्ति 6 में हैं के बाद **अन्तःस्थापित** किया जाये :

"और धारा 3 के अधीन विक्षुब्ध क्षेत्र में घोषित विक्षोभ की अवधि के दौरान किया गया हो "

श्री वीरेन दत्त :

2 पृष्ठ 2, पंक्ति 6 में, "है" के बाद **अन्तःस्थापित** किया जाये :

"और साम्प्रदायिक विक्षोभ के दौरान किया गया हो "

श्री भाई महावीर :

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

3 पृष्ठ 2, पंक्ति 6 में "है" के बाद **अन्तःस्थापित** किया जाये :

"और इस प्रकार घोषित विक्षुब्ध क्षेत्र में विक्षोभ के दौरान किया गया हो, "

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

4 पृष्ठ 2, पंक्ति 6 में "है" के बाद **अन्तःस्थापित** किया जाये :

"बशर्ते कि ऐसा अपराध विभिन्न धर्मों, प्रजातियों, भाषाओं या क्षेत्रीय समुदायों या जाति या समुदायों के सदस्यों के बीच मतभेदों या विवादों को बढ़ाने के लिये किया गया हो* " ;

*प्रक्रिया और कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 301 के अन्तर्गत संयुक्त समिति को सौंपे गये ।

सत्रह

सत्रहवीं बैठक

समिति की बैठक मंगलवार, 9 अप्रैल, 1974 को 9.30 से 10.50 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री लीलाधर कटकी--सभापति

सदस्य

लोक-सभा

2. श्री मूलचंद डागा
3. श्री मधु दंडवते
4. श्री सी० डी० गौतम
5. डा० कैलाश
6. श्री पुरुषोत्तम काकोडकर
7. श्री एफ० एच० मोहसिन
8. श्री सरजू पांडे
9. श्री एच० एम० पटेल
10. श्री नवल किशोर शर्मा
11. श्री बी० आर० शुक्ल
12. श्री एन० टोम्बी सिंह

राज्य सभा

13. श्री शंकरराव बाजीराव बावडे
14. श्री नबीन चन्द्र बरगोहेन
15. श्रीमती जहानारा जयपाल सिंह
16. श्री इब्राहीमभाई कासमभाई कलानिया
17. डा० भाई महाबीर
18. श्री हमीद अली शामनाड
19. श्री योगन्द्र शर्मा
20. श्री रणबीर सिंह
21. श्री सीता राम सिंह
22. श्री सिकदन्र अली वज्द

विधायी परामर्शदाता

श्री आर० वी० एस० पेरि-शास्त्री--संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता।

गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री एस० बालकृष्णन---**संयुक्त सचिव**
2. श्री बी० आर० पटेल---**संयुक्त सचिव**
3. श्रीमती पी० रामचन्द्रन---**निदेशक**
4. श्री एस० डी० श्रीवास्तव---**अवर सचिव**

सचिवालय

श्री हरि गोपाल परांजपे--- **उप-सचिव ।**

2. गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री राम निवास मिर्धा, ने जो संयुक्त समिति के सदस्य नहीं हैं, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 299 के अन्तर्गत सभापति की अनुमति से बैठक में भाग लिया ।

3. समिति ने विधेयक पर आगे खंड-वार विचार शुरु किया

4. **खण्ड** 3 (8 अप्रैल, 1974 का कार्यवाही संदाय का पैरा 4 देखिए)---इस खण्ड पर विचार पूरा नहीं हुआ ।

5. समिति ने निर्णय किया कि विधेयक पर आगे खण्ड-वार विचार करने के लिये समिति की बैठक बुधवार, 10 अप्रैल, 1974 को 9.30 से 11.00 बजे तक होगी ।

6. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई ।

अठारह

अठारहवीं बैठक

समिति की बैठक बुधवार, 10 अप्रैल, 1974 को 9.30 बजे से 10.50 बजे तक हुई ।

उपस्थित

श्री लीलाधर कटकी ---**सभापति**

सदस्य

लोक-सभा

2. श्री मधु दण्डवते
3. श्री सी० डी० गौतम
4. श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी
5. डा० कैलाश
6. श्री पुरुषोत्तम काकोडकर
7. श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा
8. श्री एफ० एच० मोहसिन
9. श्री सरजू पांडे
10. श्री इब्राहीम सुलेमान सेट
11. श्री नवल किशोर शर्मा
12. श्री बी० आर० शुक्ल
13. श्री एन० टोम्बी सिंह

राज्य-सभा

14. श्री नबीन चन्द्र बरगोहेन
15. श्रीमती जहानारा जयपाल सिंह
16, श्री इब्राहीम कासमभाई कलानिया
17. श्री हमीद अली शामनाड
18. श्री योगेन्द्र शर्मा
19. श्री रणवीर सिंह
20. श्री सिकन्दर अली वज्द

विधायी परामर्शदाता

श्री आर० वी० एस० पेरि-शास्त्री— संयुक्त सचिव तथा विधायी परामर्शदाता

गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री एस० बाल कृष्णन्— संयुक्त सचिव
2. श्री बी० आर० पटेल—संयुक्त सचिव
3. श्रीमती पी० रामचन्द्रन्—निदेशक
4. श्री एस० डी० श्रीवास्तव—अवर सचिव

सचिवालय

श्री हरिगोपाल परांजपे—उप-सचिव ।

2. गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री श्री राम निवास मिर्धा ने जो समिति के सदस्य नहीं हैं, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमके नियमों 299 के अनसार सभापति की अनमति से समिति की बैठक में भाग लिया ।

3. समिति ने विधेयक पर आगे खण्डवार विचार आरम्भ किया ।

4. खण्ड 3:– [देखिये दिनांक 9 अप्रैल, 1974 के कार्यवाही सारांश का पैरा 4] समिति ने इस खण्ड पर विचार आरम्भ किया ।

I निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुए :—

(एक) पृष्ठ 2 पंक्ति 19

"इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये" का **लोप** कीजिए और "समझा जाएगा" **के स्थान पर** "होगा" **प्रतिस्थापित** कीजिए ।

(दो) पृष्ठ 2 पंक्ति 20 से 23 **के स्थान पर प्रतिस्थापित** कीजिए :—

"(2) किसी क्षेत्र की बाबत उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना में वह अवधि विनिर्दिष्ट की जाएगी जिसके दौरान वह क्षेत्र इस धारा के प्रयोजनों के लिये विक्षुब्ध क्षेत्र होगा और जहां राज्य सरकार का समाधान हो जाये कि उस क्षेत्र में लोक शांति का ऐसा विक्षोभ, जैसा उपधारा (1) में विनिर्दिष्ठ है, ऐसी अधिसूचना के जारी किये जाने के पहले की किसी तारीख से हुआ था वहां अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि उस तारीख से प्रारम्भ हो सकेगी ।"

(तीन) पृष्ट 2 पंक्ति 28 और 29 के **स्थान पर** निम्नलिखित वैसी ही अधिसूचना द्वारा **प्रतिस्थापित** कीजिए :—

"तो राज्य सरकार ऐसी अवधि को समय समय पर एक बार में तीन मास से अनधिक की किसी अवधि तक बढ़ाने के लिये ऐसी अधिसूचना को संशोधित कर सकेगी" ।

(चार) पृष्ट 2, पंक्ति 29 के बाद **अन्तःस्थापित** कीजिए :—

"परन्तु यह और कि जहां राज्य सरकार का समाधान हो जाये कि ऐसे क्षेत्र में लोक शांति का ऐसा विक्षोभ, जैसा उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट है, विद्यमान नही है तो वह उस क्षेत्र के संबंध में उस उपधारा के अधीन जारी की गई अधिसूचना को (चाहे मूल रूप में या पूर्व गामी परन्तु क के अधीन संशोधन द्वारा) उसमें विनिर्दिष्ट अवधि को सीमित करने के लिये अधिसूचना को संशोधित करेगी" ।

II. निम्नलिखित संशोधन प्रारूप व सम्बन्धी परिवर्तनों के अध्याधीन स्वीकृत हुए :—

पृष्ठ 2, पंक्ति 24–25 के स्थान पर प्रतिस्थापित कीजिए —

"परन्तु—

(क) कोई भी अवधि जो अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन मास से अधिक पहले की तारीख से प्रारम्भ हो उसमें विनिर्दिष्ट नहीं की जाएगी, और

(ख) ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि का इतना भाग जितना अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के पश्चात् का हो प्रथमतः तीन।"

LII. संशोधन सम्बन्धी ऐसे नोटिस जिन पर समिति ने विचार किया था परन्तु स्वीकृत नहीं हुए अनुबंध में दिए गए है।

खण्ड संशोधत रूप में स्वीकृत हुआ।

5. खण्ड 4—निम्नलिखित संशोधन प्रारूप व सम्बन्धी तथा परिणामिक परिवर्तनों के अध्याधीन स्वीकृत हुए :—

पृष्ठ 2 पक्ति 30 "अपराधों" के पश्चात् अन्तःस्थापित कीजिए :—

"जो उपर्युक्त खण्ड 3 के उप-खण्ड (1) में सदर्भित लोक शांति और प्रशांति के बड़े पैमाने पर विक्षुब्ध होने पर पैदा हुए,"

खण्ड पर और आगे विचार रोक दिया गया।

6. तत्पश्चात् समिति ने विधेयक पर और आगे खण्ड वार विचार करने के लिए गुरुवार, 11 अप्रैल, 1974 को 09.00 बजे से 11.00 बजे तक बैठक करने का निर्णय किया।

7. तत्पश्चात् समिति स्थगित हुई।

अनुबन्ध

10 अप्रैल, 1974 को आयोजित संयुक्त समिति की बैठक में संशोधित सम्बन्धी जिन सूचनाओं पर विचार किया गया और जो स्वीकृत नहीं हुई उनकी सूची

क्रमांक	सदस्य का नाम और संशोधन का पाठ

खण्ड 3

*श्री अटल बिहारी बाजपेयी :

डा० भाई महावीर :

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

1. पृष्ठ 2, पंक्ति 12

"सरकार का" के पश्चात् अन्तःस्थापित कीजिए :—

"उच्च न्यायालय के परामर्श से"

श्री बी० आर० शुद्धक

2. पृष्ठ 2 पंक्ति 12

"सरकार" के पश्चात् अन्तःस्थापित कीजिए :—

"अथवा केन्द्रीय सरकार'

श्री मूल चन्द डागा

3. पृष्ठ 2, पंक्ति 12

"सरकार का" के पश्चात् अन्तःस्थापित कीजिए :—

"उचित रूप से

श्री मूल चन्द डाँगा

डा० भाई महावीर

श्री मुख्तियार सिंह मलिक

पृष्ठ 2, पंक्ति 16 का लोप किजिए :—

श्री मूल चन्द डागा

5. पृष्ठ 2 पंक्ति 16 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाए :—

"(एक) एक महीने के अन्दर , विक्षुब्ध हुई थी, या

श्री बी० आर० शुक्ल

6. पृष्ठ 2 पंक्तियां 13–14

"विभिन्न धार्मिक मूल वंशीय, भाषायी या प्रादेशिक समूहों या जातियों या सम्प्रदायों के बीच मत भेदों या विवादों के कारण का लोप किया जाए :

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी

डा० भाई महावीर

श्री मुख्तियार सिंह मलिक

*प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के नियम 301 के अन्तर्गत सयुक्त समिति को भेजा गया है ।

क्रमांक	सदस्य का नाम और संशोधन का पाठ

7. पृष्ठ 2, पक्ति 14

"मतभेदों या" का लोप किया जाये।

श्री बीरेन दत्त

8. पृष्ठ 2, पंक्ति 14

"मतभेदों या विवादों के स्थान पर "साम्प्रदायिक दगे' प्रतिस्थापित किया जाये :

श्री दिनेश चन्द गोस्वामी

9. पृष्ठ 2; पंक्ति 13

"भाषायी या प्रादेशिक का लोप किया जाये।

श्री बी० बी० नायक

*10. पृष्ठ 2, पंक्ति 13

"भाषायी" का लोप किया जाये।

11. श्री योगेन्द्र शर्मा

श्री सरजू पाण्डे

पृष्ठ 2, पंक्ति 13

"मूल वंशीय भाषायी या प्रादेशिक समूहों या जातियों या" का लोप किया जाये।

श्री बीरेन दत्त

12. पृष्ठ 2, पंक्ति 13—

"मूल वंशीय, भाषायी या प्रादेशिक समूहों या जातियों या सम्प्रदायों" का लोप किया जाये।

श्री एच० एम० पटेल

13. पृष्ठ 2, पंक्ति 19 के पश्चात्

"परन्तु ऐसी अधिसूचना इस प्रकार के व्यापाक उपद्रव के होनें के एक मास के अन्दर जारी कर दी जाएगी।" को जोड़ा जाए।

श्री बीरेन दत्त

14. पृष्ठ 2, पंक्ति 19 के पश्चात्

"परन्तु ऐसी अधिसूचना इस प्रकार के व्यापाक उपद्रव होने के 15 दिन के अन्दर जारी कर दी जाएगी' को जोड़ा जाए।

डा० भाई महावीर

श्री मुख्तियार सिह मलिक

15. पृष्ठ 2, पंक्ति 19 के पश्चात्

"परन्तु ऐसी अधिसूचना इस प्रकर के व्याँपक उपद्रव होनें के पश्चात जारी कर दी जाएगी।" को जोड़ा जाए।

श्री नरेन्द्र मोहन चौधरी

16. पृष्ठ 2, पंक्ति 20–21 में

"अधिसूचना" के बाद "उसके कारण बता कर" को जोड़ा जाए।

*प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के नियम 301 के अन्तर्गत सयुक्त समिति को भेजा गया।

क्रमांक	सदस्य का नाम और संशोधन का पाठ

श्री योगेन्द्र शर्मा

श्री सरजू पाण्डे

17. पृष्ठ 2, पंक्ति 28

"समय समय पर किन्तु एक बार में अधिक से अधिक तीन मास की अवधितक" के स्थान पर "अधिक से अधिक तीन मास की अवधि तक" को प्रतिस्थापित किया जाये।

श्री प्रसन्नभाई मेहता

*18. पृष्ठ 2, पंक्ति 29 के पश्चात्

"(3) राज्य सरकार उप-धारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना को उसके जारी किये जाने की तिथि के सात दिन के अन्दर केन्द्रीय सरकार को प्रेषित कर देगी।

(4) केन्द्रीय सरकार तत्काल संसद् की स्वीकृति प्राप्त करेगी।"

को अन्तःस्थापित किया जाये।

श्री अटलबिहारी वाजपेयी

*19. पृष्ठ 2, पंक्ति 29 के बाद

"परन्तु यह और कि यदि उच्च न्यायालय इस सम्बन्ध में सन्तुष्ट नहीं है कि इस प्रकार का समय बढ़ाना आवश्यक है राज्य सरकार 6 मास से अधिक अवधि नहीं बढ़ायेगी ।

परन्तु यह और कि राज्य सरकार 12 महीनें से अधिक अवधि नहीं बढ़ायेगी।" को अन्तःस्थापित किया जाये।

श्री योगेन्द्र शर्मा

श्री सरजू पाण्डे

20. पृष्ठ 2, पंक्ति 29 के बाद

"परन्तु और यह कि इस प्रकार की सभी अधिसूचनाओं को यथाशीघ्र सम्बन्धित राज्य सरकार के विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा यदि सम्बन्धित राज्य सरकार के विधान मंडल ने उसके प्रस्तुत किये जाने के दो सप्ताह के अन्दर एक प्रस्ताव द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया तो इस प्रकार की सभी अधिसूचनाओं को रद्द, माना जायेगा।" को जोड़ा जाये।

श्री एच० एम० पटेल

21. पृष्ठ 2, पंक्ति 29 के पश्चात्

"परन्तु यह भी कि यदि राज्य विधान मंडल का सत्र चल रहा हो तो राज्य विधान मंडल से परामर्श किये बिना तीन मास की अवधि की समाप्ति पर समय का विस्तार नहीं किया जायेगा।" को जोड़ा जाये।

श्री बीरेन दत्त

22. पृष्ठ 2, पंक्ति 29 के पश्चात्

"परन्तु राज्य विधान मंडल की सहमति के बिना समय को नहीं बढ़ाया जायेगा।" को जोड़ा जाये।

डा० भाई महावीर

श्री मुख्तियार सिंह मलिक

23. पृष्ठ 2, पंक्ति 29 के बाद

"(3) राज्य सरकार संसद का अनुमोदन प्राप्त करने न्केयेकेलि अधिसूचना को तत्कालीय सरकार के पास भेज देगी। परन्तु यह और कि राज्य सरकार यदि न्यायालय का अनुमोदन प्राप्त नहीं हो गया है तो अवधि को 6 मास से अधिक नहीं बढ़ायेगी तथा राज्य सरकार किसी भी मामले में 12 महीने से अधिक अवधि नहीं बढ़ायेगी। को जोडा जाये ।

*प्रक्रिया नियम के नियम 301 के अन्तर्गत सयुक्त समिति को विचारार्थ प्रेषित किया गया।

उन्नीस

उन्नीसवीं बैठक

समिति की बैठक गुरुवार 11 अप्रैल, 1974 को 09.00 बजे से 10.15 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री लीलाधर कटकी—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री मूल चन्द डागा
3. श्री मधु दण्डवते
4. श्री तुलसीदास दासप्पा
5. श्री सी० डी० गौतम
6. श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी
7. डा० कैलाश
8. श्री पुरुषोत्तम काकोडकर
9. श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा
10. श्री प्रसन्नभाई मेहता
11. श्री सरजू पाण्डे

राज्य सभा

12. श्री नवीनचन्द्र बरगोहेन
13. श्री इब्राहीम भाई कासमभाई कलानिया
14. डा० भाई महावीर
15. श्री हमीद अली शामनाड
16. श्री रणबीर सिंह
17. श्री सिकन्दर अली वज्द

विधायी परामर्शदाता

श्री आर० बी० एस० पेरिशास्त्री—संयुक्त सचिव तथा विधायी परामर्शदाता

गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री ऐस० बालाकृष्णन्—संयुक्त सचिव
2. श्रीमती पी० रामचन्द्रन—निदेशक
3. श्री एस० डी० श्रीवास्तव—अवर सचिव

सचिवालय

श्री हरिगोपाल परांजपे—उप-सचिव।

2. गृह मंत्राशय में राज्य मंत्री श्री रामनिवास मिर्धा ने, जो समिति के सदस्य नहीं हैं, लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 299 के अधीन सभापति की अनुमति से बैठक में भाग लिया।

3. समिति ने विधेयक पर खण्डवार आगे विचार आरम्भ किया।

4. खण्ड 4. [**देखिये** 10 अप्रैल 1974 के कार्यवाही सारांश का पैरा 5]

(एक) निम्नलिखित और संशोधन स्वीकार किये गये :—

(एक) पृष्ठ 2, पंक्ति 34–35 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाय :–

"विशेष न्यायालय में एक न्यायाधीश होगा जो राज्य सरकार द्वारा प्रार्थना किये जाने पर उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

स्पष्टीकरण–इस उप-धारा में 'नियुक्त शब्द का वही अर्थ होगा जो उसका संहिता की धारा 9 के स्पष्टीकरण में दिया गया है।

(दो) पृष्ठ 3, पंक्ति 7–8 का लोप किया जाये।

दो. निम्नलिखित संशोधन प्रारूपण संबंधी परिवर्तनों के अध्यधीन स्वीकार किया गया :–

पृष्ठ 3, पंक्ति 3 से 6 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :–

"वह सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश हो, या रहा हो या इस रूप में नियुक्ति के लिये अर्ह हो।"

तीन. संशोधनों की सूचनायें जिन पर समिति ने विचार किया तथा जिन्हें स्वीकार नहीं किया, अनुबन्ध में दी गयी है।

खण्ड संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ।

5. **खण्ड 5** :–

एक. निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किया गया :–

पृष्ठ 3, पंक्ति 10 से 12;

"उस क्षेत्र के बारे में धारा 3 के अधीन जारी की गयी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान या उक्त धारा की उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन बढ़ाई गयी अवधि के दौरान" के स्थान पर "उस अवधि के दौरान जब वह विक्षुब्ध क्षेत्र हो" प्रतिस्थापित किया जाये :–

दो. निम्नलिखित संशोधन प्रारूपण संबंधी परिवर्तनों के अध्यधीन स्वीकार किये गये :—

(एक) पृष्ठ 3, पंक्ति 13,

"अनुसूचित अपराध" से पूर्व निम्नलिखित **अन्तःस्थापित किया जाये** :—

"धारा 3 में यथानिर्दिष्ट किसी विक्षोभ का भाग हो या उससे पैदा होने वाला या उससे अन्यथा संबंधित,"

(दो) पृष्ठ 3, पंक्ति 15,

"ही" के पश्चात "संज्ञेय और" **अन्तःस्थापित किया जाये**।

तीन. संशोधनों की सूचनायें, जिन पर समिति ने विचार किया तथा जिन्हें स्वीकार नहीं किया, अनुबन्ध में दी गयी है।

खण्ड संशोधित रूप में स्वीकृत किया गया।

6. **नया खण्ड** क :—एक नया खण्ड अन्तःस्थापित करने संबंधी संशोधन की सूचना, जो अनुबन्ध में दी गई है, पर समिति ने विचार किया तथा उसे स्वीकार नही किया।

7. **खण्ड 6** :—

एक. निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किये गये :—

(एक) पृष्ठ 3, पंक्ति 20 से 32 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाये** :—

"विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियां

6. (1) विशेष न्यायालय किसी अनुसूचित अपराध का संज्ञान—

(क) जहां संहिता के अधीन ऐसा अपराध संहिता की धारा 209 के अधीन उसे सुपुर्द किये जाने पर अनन्य रूप से सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराध हो वहां इस प्रकार कर सकेगा मानों विशेष न्यायालय सेशन न्यायालय है;

(ख) किसी अन्य दशा में तथ्यों के बारे में पुलिस की रिपोर्ट पर कर सकेगा जिसके साथ लोक अभियोजक का इस भाव का प्रमाणपत्र होगा कि वह अपराध अनन्य रूप से विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय है ।

(2) जहां कोई अनुसूचित अपराध संहिता के अधीन अनन्य रूप से सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराध है, वहां विशेष न्यायालय को सेशन न्यायालय की सब शक्तियां होंगी और वह ऐसे अपराध का विचारण, इस प्रकार मानों वह सेशन न्यायालय हो, यावत् शक्य सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण के लिये संहिता में विहित प्रक्रिया के अनुसार करेगा मानो वह विशेष न्यायालय सेशन न्यायालय हो ।

(3) जहां कोई अनुसूचित अपराध ऐसा अपराध हो जो तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिये कारावास से दण्डनीय हो किन्तु संहिता के उपबन्धों के अनुसार जो अनन्य रूप से सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराध न हो, वहां उस अपराध का संज्ञान करने पर विशेष न्यायालय संहिता की धारा 207 के अधीन मजिस्ट्रेट के कृत्यों का पालन कर सकेगा और तत्पश्चात् ऐसे अपराध का विचारण सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण के लिये संहिता में विहित प्रक्रिया के अनुसार इस प्रकार करेगा मानों विशेष न्यायालय सेशन न्यायालय हो और वह मामला संहिता के उपबन्धों के अधीन विचारण के लिये उसे सुपुर्द किया गया हो ।

(4) जहां कोई अनुसूचित अपराध तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिये कारावास से या जुर्माने से अथवा दोनों से दण्डनीय हो वहां संहिता की धारा 260 में अथवा धारा 262 में किसी बात के होते हुए भी विशेष न्यायालय उस अपराध का विचारण संहिता में विहित प्रक्रिया के अनुसार सक्षेपत: कर सकेगा और संहिता की धारा 263 से लेकर 265 तक के उपबन्ध यावतशक्य ऐसे विचारण को लागू होंगे ।''

(दो) पृष्ठ 3, पंक्ति 36,

"(4)" के स्थान पर "(5)" प्रतिस्थापित किया जाये ।

(तीन) पृष्ठ 4, पक्ति 2,

"धारा 339 और धारा 339 क" के स्थान पर "धारा 308" प्रतिस्थापित किया जाये ।

(चार) पृष्ठ 4, पंक्ति 3,

"338" के स्थान पर "307" प्रतिस्थापित किया जाये ।

दो. निम्नलिखित संशोधन प्रारूपण सम्बन्धी परिवर्तनों के अध्यधीन स्वीकृत किया गया :—

पृष्ठ 3, पंक्ति 33 से 35 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये—

"परन्तु इस उपधारा के अधीन संक्षिप्त विचारण के दौरान जब विशेष न्यायालय को प्रतीत हो कि मामले का स्वरूप ऐसा है कि उसका संक्षिप्ततः विचारण करना अवांछनीय है, तो विशेष न्यायालय किन्हीं साक्षियों को, जिनकी परीक्षा की जा चुकी हो, पुनः बुलाएगा और मामले को ऐसे अपराध के विचारण के लिये संहिता के उपबन्ध द्वारा उपबंधित रीति से पुनः सुनवाई प्रारम्भ करेगा और उक्त उपबन्ध विशेष न्यायालय को और उसके सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे किसी मजिस्ट्रेट को और उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं"

तीन. संशोधनों की सूचनायें, जिन पर समिति ने विचार किया और जिन्हें स्वीकार नहीं किया, अनुबन्ध में दी गई हैं ।

खण्ड, संशोधित रूप में, स्वीकृत किया गया ।

8. **खण्ड 7—**

एक. निम्नलिखित संशोधन स्वीकृति किया गया ।

पृष्ठ 4, पक्ति 8–9 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये—

"अधीन अधिकारिता हो और वह न्यायालय जिसे मामला अन्तरित किया जाये मामले में ऐसे कार्यवाही कर सकेगा मानों उसने अपराध का सज्ञान किया हो ।"

दो. सशोधन की सूचना, जिस पर समिति ने विचार किया और जिसे स्वीकार नहीं किया, अनुबन्ध में दी गई है ।

खण्ड, संशोधित रूप में, स्वीकार किया गया ।

9. **नया खण्ड 7क**––एक नये खण्ड को अन्तःस्थापित करने के सम्बन्ध में संशोधन की सूचना जिस पर समिति ने विचार किया और जिसे स्वीकार नहीं किया, अनुबन्ध में दी गई है ।

10. **खण्ड 8**––निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किया गया :––

पृष्ठ 4, पंक्ति 10 से 13 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाये––

"अपील और पुनरीक्षण	8.	उच्च न्यायालय, संहिता के अध्याय 29 और 30 और उच्च न्यायालय को प्रदत्त सब शक्तियों का, जहां तक वे लागू हों, इस प्रकार प्रयोग कर सकेगा मानो विशेष न्यायालय उस उच्च न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अन्दर मामलों का विचारण करने वाला सेशन न्यायालय हो ।"

खण्ड, संशोधित रूप में, स्वीकार किया गया ।

11. **खण्ड 9**––

एक. निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किया गया :––

(एक) पृष्ठ 4, पंक्ति 18,

"जूरी के बिना मामलों का विचारण करने वाला" **का लोप** किया जाये ।

(दो) पृष्ठ 4, पंक्ति 22,

"धारा 350 और धारा 549" **के स्थान पर** "धारा 326 और धारा 475" **प्रतिस्थापित** किया जाये ।

दो. संशोधन की सूचना, जिस पर समिति ने विचार किया और जिसे स्वीकार नहीं किया, अनुबन्ध में दी गई है ।

खण्ड, संशोधित रूप में, स्वीकार किया गया ।

12. **खण्ड 10**––खण्ड बिना किसी संशोधन के स्वीकार किया गया ।

13. **अनुसूची**– संशोधनों की सूचनायें, जिन पर समिति ने विचार किया और जिन्हें स्वीकार नहीं किया, अनुबन्ध में दी गई है । अनुसूची बिना किसी संशोधन के स्वीकार की गई ।

14. **खण्ड 1**––निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किया गया :––

पृष्ठ 1, पक्ति 4,

"1972" **के स्थान पर** "1974" **प्रतिस्थापित** किया जाये ।

खण्ड, संशोधित रूप में, स्वीकार किया गया ।

15. **अधिनियमन सूत्र**–निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किया गया :––

पृष्ठ 1, पक्ति 1,

"तेईसवें" **के स्थान पर** "चौबीसवें" **प्रतिस्थापित** किया जाये ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, स्वीकार किया गया ।

16. **विधेयक का पूरा नाम**––विधेयक का पूरा नाम बिना किसी संशोधन के स्वीकार किया गया ।

17. समिति ने स्पष्ट त्रुटियों को ठीक करने और विधेयक में प्रारूपण सम्बन्धी या पारिणामिक स्वरूप के संशोधन यदि कोई हों, करने के लिये विधायी परामर्शदाता को प्राधिकृत किया ।

18. समिति ने निश्चय किया कि समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के पश्चात्––

(एक) समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य ; और

(दो) समिति को विभिन्न एसोसिएशनों, संगठनों आदि से प्राप्त हुये ज्ञापनों की दो-दो प्रतियां संसद् सदस्यों के अवलोकनार्थ संसद् ग्रन्थागार में रखी जायें ।

19. तत्पश्चात् सभापति ने समिति के सदस्यों का ध्यान अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के विमति टिप्पणों सम्बन्धी निदेश सख्या 87 के उपबन्धों की ओर दिलाया ।

20. समिति ने अपने प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार करने तथा उसे स्वीकार करने के लिये गुरुवार, 25 अप्रैल, 1974 को 09.30 बजे पुनः समवेत होने का निश्चय किया ।

21. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई ।

अनुबन्ध

संशोधनों की सूचनायें, जिन पर संयुक्त समिति ने 11 अप्रैल, 1974 को हुई अपनी बैठक में विचार किया और जिन्हें स्वीकार नहीं किया

क्रमांक	सदस्य का नाम और संशोधन का पाठ
(1)	(2)

खण्ड 4–

***श्री अटल बिहारी बाजपेयी**

डा० भाई महावीर

श्री मुख्तियार सिंह मलिक

1. पृष्ठ 2, पंक्ति 34–35,

   "के परामर्श से" **के स्थान पर** "की सहमति से" **प्रतिस्थापित** किया जाये ।

2. पृष्ठ 3, पंक्ति 3–4,

   "या उस रूप में नियुक्ति के लिये अर्हित हो" का **लोप** किया जाये ।

श्री बीरेन दत्त

श्री मूल चन्द डागा

3. पृष्ठ 3, पंक्ति 3 से 6 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाये––

   "वह सेशन न्यायाधीश हो या रहा हो या इस रूप में नियुक्ति के लिये अर्हित हो ।"

श्री मूल चन्द डागा

4. पृष्ठ 3, पंक्ति 5,

   "एक वर्ष" **के स्थान पर** "पांच वर्ष" **प्रतिस्थापित** किया जाये ।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी

****5. पृष्ठ 3, पंक्ति 5 और 6,

   "सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश" **के स्थान पर** "वरीयताक्रम के अनुसार नियुक्त जिला न्यायाधीश अथवा एक अपर जिला न्यायाधीश"

श्री बी० आर० शुक्ल

6. पृष्ठ 3, पंक्ति 6 के पश्चात्––

   "अथवा कम से कम छः वर्षों के लिए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट रहा हो ।" **जोड़ा जाये** ।

श्री मूल चन्द डागा

7. पृष्ठ 3, पंक्ति 6 के पश्चात् **निम्नलिखित जोड़ा जाये** :

   "(ग) वह उच्च न्यायालय का प्रमुख अधिवक्ता है तथा उसे 5 वर्षों का अनुभव है ।

श्री एच० एम० पटेल :

8. पृष्ठ 3, पंक्ति 8 के पश्चात निम्नलिखित **जोड़ा जाये**––

   "(5) राज्य सरकार को अधिसूचना में उस अवधि का उल्लेख भी करना चाहिये जिसके लिए ऐसे विशेष न्यायालयों का गठन किया जा रहा है ।

---

*प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के नियम 301 के अधीन संयुक्त समिति को भेजा गया ।

**प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के नियम 301 के अधीन संयुक्त समिति को सौंपा गया है ।

(1)	(2)

परन्तु यह कि राज्य सरकार को निर्धारित अवधि से आगे विशेष न्यायालय अथवा न्यायालयों के कार्यकाल में समुचित तथा पर्याप्त कारण होने पर वृद्धि करने का अधिकार होगा लेकिन जो अवधि बढ़ाई जायेगी वह किसी हालत में छः महीने से अधिक नहीं होगी ।"

श्री बीरेन दत्त :

9. पृष्ठ 3, पंक्ति 8 **के पश्चात** निम्नलिखित **जोड़ा जाये**—

"(5) राज्य सरकार को अधिसूचना में उस अवधि का उल्लेख करना चाहिए जिसके लिए ऐसे विशेष न्यायालयों का गठन किया जा रहा है ।"

डा० भाई महावीर :

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

10. पृष्ठ 3,

पंक्ति 8 के पश्चात, **निम्नलिखित जोड़ा जाये**—

"(5) राज्य सरकार उस अवधि का उल्लेख करेगी जिसके लिए इन विशेष न्यायालयों का गठन किया जायेगा परन्तु यह कि किसी स्थिति में ऐसे न्यायालयों के कार्यकाल में एक वर्ष से अधिक वृद्धि नहीं की जायेगी ।"

खण्ड 5

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

*11. पृष्ठ 3, 16 से 19 पंक्तियों **का लोप किया जाये** ।

डा० भाई महावीर :

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

12. पृष्ठ 3, पंक्ति 19,

"अपराध" से पूर्व "धारा 3 में उल्लिखित अशांति से उत्पन्न अथवा ऐसी अशांति से अन्यथा सम्बद्ध" **जोड़ा जाये ।**

नया खण्ड 5क

श्री बी० आर० शुक्ल :

13. पृष्ठ 3, पंक्ति 19 के पश्चात, नये खण्ड के रूप में निम्नलिखित जोड़ा जाये—

"(5क) कोई विशेष न्यायालय एक पुलिस रिपोर्ट के सिवाय किसी अनुसूचित अपराध अथवा उससे सम्बद्ध अपराधों का संज्ञान नहीं करेगा ।"

खण्ड 6

श्री मूल चन्द डागा :

14. पृष्ठ 3, पंक्ति 21, "संज्ञान" से पूर्व "केवल पुलिस रिपोर्ट पर" **अन्तःस्थापित किया जाये ।**

15. पृष्ठ 3, पक्ति 21, "किसी अनुसूचित अपराध" से पूर्व "केवल पुलिस रिपोर्ट पर" **जोड़ा जाये ।**

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी

*16. पृष्ठ 3, पंक्ति 25,

"कर सकेगा" **क स्थान पर**

"करेगा" **प्रतिस्थापित किया जायेगा**

श्री बी० आर० शुक्ल :

*प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के नियम 301 के अधीन संयुक्त समिति को सौंपा गया है ।

1	2

*17 पृष्ठ 3, पक्ति 24,

"वारंट मामलों" से पूर्व

"पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित किये गये"

अन्तःस्थापित किया जाये

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी :

*18 पृष्ठ 3, पक्ति 26,

"कर सकेगा" के स्थान पर

"करेगा" **प्रतिस्थापित किया जाये ।**

*19 पृष्ठ 3, पंक्ति 30,

"सक्षिप्त" का **लोप किया जाये ।**

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी

*20 पृष्ठ 3, पंक्ति 31,

"से लेकर 265 तक" के स्थान पर

"और 264" **प्रतिस्थापित किया जाये ।**

श्री अटल बिहारी बाजपेयी :

*21 पृष्ठ 3, पंक्ति 33,

"संक्षिप्त" **का लोप किया जाये**

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी

22 पृष्ठ 3, पंक्ति 35 के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाये--

"(3क) कि उप-धारा (3) के अधीन विचारण में किसी दोषसिद्धि के मामले में ऐसे अपराध के दण्ड के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दण्डादेश अधिरोपित करना न्यायालय के लिए विधिपूर्ण होगा परन्तु संक्षिप्त विचारण के मामले में कारावास की अवधि दो वर्षों से अधिक नहीं होगी ।"

श्री बी० आर० शुक्ल :

श्री मूल चन्द डागा :

23 पृष्ठ 3, पंक्ति 36,

"विशेष न्यायालय" **के स्थान पर**

"जिला मजिस्ट्रेट अथवा मुख्य प्रसिडेन्सी मजिस्ट्रेट" **प्रतिस्थापित किया जाय**

खण्ड सात

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी

24 पृष्ठ 3, पंक्ति 4 से 9, **के स्थान पर**

"7. यदि किसी अपराध का संज्ञान करने के पश्चात् विशेष न्यायालय की यह राय हो कि वह अपराध अनुसूचित अपराध नहीं है तो वह मामले को विचारण के लिए ऐसे न्यायालय को अन्तरित करेगा जिसे

*प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के नियम 301 के अधीन संयुक्त समिति को सौंपा गया है ।

संहिता के अधीन अधिकारिता हो और तत्पश्चात्, धारा 5 की उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी उस मामले में विशेष न्यायालय की अधिकारिता समाप्त हो जायेगी।" **प्रस्थापित किया जाये ।**

नया खण्ड 7क

श्री बी० आर० शुक्ल

*25 पृष्ट 4, पंक्ति 9 के पश्चात् निम्नलिखित **अन्तः स्थापित किया जाये**

"7क. वह न्यायालय जिसको धारा 7 के अधीन कोई मामला अन्तरित किया जाता है, संहिता के उपबन्धों के अनुसार नये सिरे से जांच अथवा विचारण आरम्भ करेगा ।

खण्ड 9

श्री बी० आर० शुक्ल

*26 पृष्ठ 3, पंक्ति 22 और 23 में

"विशेष न्यायालय" **के स्थान पर** "विशेष न्यायालय का न्यायाधीश" और पंक्ति 23 तथा 24 में "और उक्त उपबन्धों के प्रयोजन के लिए, विशेष न्यायालय" **के स्थान पर** "और उक्त उपबन्धों के प्रयोजन के लिए, विशेष न्यायालय का न्यायाधीश" **प्रतिस्थापित किया जाये ।**

अनुसूची

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी

श्री मूलचन्द डागा

27 पृष्ठ 4, पंक्ति 35, "अपराध" के पश्चात निम्नलिखित **जोड़ा जाये** —

"यदि वह विभिन्न धर्मों के सदस्यों, जातीय, भाषायी अथवा क्षेत्रीय वर्गों अथवा जातियों अथवा सम्प्रदायों के बीच भेदभाव अथवा विवादों के कारण किया जाता है ।"

28 पृष्ठ 5, पंक्ति 5,

"302, 303, 304" **का लोप किया जाये ।**

बीस

बीसवीं बैठक

समिति की बैठक गुरूवार, 25 अप्रैल, 1974 को 09.30 बजे से 10.30 बजे तक हुई ।

उपस्थित

श्री लीलाधर कटकी—**सभापति**

सदस्य

लोक सभा

2. श्री मधु दण्डवते
3. श्री तुलसीदास दासप्पा
4. श्री बीरेन दत्त
5. श्री सी० डी० गौतम
6. डा० कैलास
7. श्री पुरुषोत्तम काकोडकर
8. श्री प्रसन्नभाई मेहता
9. श्री एफ० एच० मोहसिन
10. श्री बी० वी० नायक
11. श्री सरजू पाण्डे
12. श्री नवल किशोर शर्मा
13. श्री एन० टोम्बी सिंह

*प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के नियम 301 के अधीन संयुक्त समिति को सौंपा गया।